BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION No- 710 OF 2023

IN THE MATTER OF:

SUSHIL RAGHAV **...APPLICANT**

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. **...RESPONDENTS**

INDEX

S.N.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Affidavit of Shri Manoj Kumar Singh, Chief Secretary, State of Uttar Pradesh, in compliance of order dated 18.04.2024.	4-13
2.	**ANNEXURE - R1** Letter issued by Joint Secretary, U.P. dated 08.05.2024 and a letter issued by District Magistrate, Ghaziabad dated 22.06.2024	14-15

3.	**ANNEXURE – R2** Letter issued by Secretary, G.D.A. dated 05.07.2024	16-17
4.	**ANNEXURE – R3** Letter issued by DM, Ghaziabad dated 08.07.2024 and an explanation letter given by Secretary, G.D.A. dated 15.07.2024	18-20
5.	**ANNEXURE – R4** Comprehensive status report submitted by the District Magistrate; Ghaziabad dated 18.07.2024	21-32
6.	**ANNEXURE – R5** Letters issued by DM; Ghaziabad dated 18.07.2024	21-32
7.	**ANNEXURE – R6** Letter issued by Joint Secretary, U.P. dated 19.07.2024	33
8.	**ANNEXURE R-7:** A true copy of the letter issued by the Joint secretary, State of UP, dated 22.07.2024.	34
9.	**ANNEXURE R-8- :** A true copy of Site visit report dated 22.07.2024	35-40
10.	**ANNEXURE R9-:** A true copy of letter of meeting dated 06.09.2024.	41-45

11.	**ANNEXURE R-10: -** A true copy of the report of the Additional Municipal Commissioner dated- 11.09.2024	46-63

THROUGH

DATE: 30/ 09/2024

PLACE: NEW DELHI

BHAWAR PAL SINGH JADON

STANDING COUNSEL OF STATE OF UP

NATIONAL GREEN TRIBUNAL

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION No- 710 OF 2023

IN THE MATTER OF:

SUSHIL RAGHAV **...APPLICANT**

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. **...RESPONDENTS**

AFFIDAVIT OF SHRI MANOJ KUMAR SINGH, CHIEF SECRETARY, STATE OF UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 18.04.2024-

I, Manoj Kumar Singh, aged about 59 years, posted as Chief Secretary, Government of State of Uttar Pradesh, do hereby most solemnly state and affirm as under.

1. I am the Chief Secretary, State of Uttar Pradesh and fully conversant with the facts and circumstances of the present case. I affirm that this Affidavit is being filed by the Deponent in compliance of order dated 18.04.2024 of this Hon'ble Tribunal.
2. At the outset, with the utmost respect it is submitted that all the officers and authorities of the State of Uttar Pradesh have the highest respect and regard to the orders passed by the Hon'ble Tribunal and duty bound to

fulfill the obligation which are assigned under the law and directions passed by this Hon'ble Tribunal in true letter and spirit.

3. That in the present Original Application, the applicant has raised the issue that there was a park earmarked at Rajendra Nagar Industrial Colony on G.T. Road, Sahibabad, Ghaziabad but the Ghaziabad Municipal Corporation is undertaking the activity of construction of road/pathway on the land earmarked for the park and is also constructing the drain and shifting the boundary of the park reducing the park area.

4. That by the order dated 30.11.2023 the Hon'ble Tribunal constituted a Joint Committee to carry out the spot inspection to ascertain the correct position on the spot and file action-taken report. It is submitted that in compliance of the order of the Hon'ble Tribunal, Joint Committee filed the report on 02.02.2024.

5. That on 5.02.2024, the Hon'ble Tribunal after perusal of the Joint Committee Report passed the following order, the relevant paragraphs are as follows:

"2. The report of the joint Committee, filed on 02.02.2024, does not give full and clear details of the park except for referring to some letter revealing that the encroachment free area of the park is 10880 sq. meters. and the area of the park on which Babu Jagjivan Ram Colony built illegally is 7120 sq. meters.

Oath Commissioner
Lucknow
Civil Secretariat

3. Learned Counsel for the applicant seeks time to file objection to the report of the joint Committee. Respondent no. 6, District Magistrate Ghaziabad, represented through the Counsel, is directed to file the report/response enclosing therewith a copy of the relevant extract of the Master Plan reflecting the position of the park/area of the park and the extent of the free area and encroachment on the park and also the action taken for removal of the encroachment, if any.

4. Learned Counsel for the applicant has referred to Annexure A-1 filed along with the OA, which is the approved layout plan of Rajendra Nagar Industrial Colony, wherein the park has been clearly shown and its area is reflected as 14400 sq. yards. The District Magistrate will also respond to the said layout plan."

6. That in compliance of Hon'ble Tribunal order dated 05.02.2024 the District Magistrate Ghaziabad on 9.02.2024 has written a letter to the Secretary, Ghaziabad Development Authority to provide the approved Master Layout Plan of the Rajendra Nagar Industrial Area and also has written a letter to the Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Ghaziabad to take necessary action in compliance of Hon'ble Tribunal's order.
7. That by the letter dated 15.04.2024 Secretary, Ghaziabad Development Authority informed that the layout plan in question is not traceable in the record room of Ghaziabad Development Authority even after due diligence and efforts made by the staff of the department in searching for

Oath Commissioner ★ Civil Secretariat ★ Lucknow

the same. It is further submitted that Municipal Commissioner informed that on the vacant area 21,000 saplings have been planted and no construction of the road/drain has been done by the Ghaziabad Nagar Nigam. It is germane to mention here that on the basis of information furnished by the Ghaziabad Nagar Nigam and G.D.A., the District Magistrate Ghaziabad filed the status report in NGT.

8. That the Original Application was listed on 18.04.2024 for hearing before the Hon'ble Tribunal. After hearing the matter and perusal of the report filed by the District Magistrate and Municipal Corporation Ghaziabad passed the order which is as follows:

   '6. We are surprised with the stand of the District Magistrate that there is no material available relating to existence of park. Hence, we have no option but to direct the Chief Secretary, State of UP to look into the matter and file an affidavit before the Tribunal by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF about the correctness of the stand of the District Magistrate, Ghaziabad and also the status of existence of park, its area and encroachment thereupon and the approved layout plan of Rajendra Nagar Industrial Colony as detailed above.'

9. It is submitted that, on dated 08.05.2024 letter no. NGT-124/9-5-2024-21/2023 the Joint Secretary, State of U.P. has sought the status report from the Municipal Commissioner, Nagar Nigam and District Magistrate,

Oath Commissioner ✱ Civil Secretariat ✱ Lucknow

Ghaziabad. It is important to note here that the District Magistrate, Ghaziabad also vide letter no. 222/ST-DM/2024 has sought the status of Master Layout Plan from the Vice Chairman, Ghaziabad Development Authority within one week.

ANNEXURE R-1: Letter issued by Joint Secretary, State of U.P. dated 08.05.2024 and a letter issued by District Magistrate, Ghaziabad dated 22.06.2024.

10. It is submitted that Secretary, Ghaziabad Development Authority vide letter no. 605-Master Plan Zone-7/2024 dated 5.07.2024 informed that a thorough inspection was conducted of the Master Record Room with earnest efforts, a copy of the plan/map in question, approved by the then authorized officer/authority in the year 1962 was found on which the approval date 01.01.1962 is mentioned.

ANNEXURE R-2: Letter issued by Secretary, G.D.A. dated 05.07.2024.

11. It is submitted that an explanation was sought by District Magistrate through vide letter no. 270/ST-DM/2024 dated 8.07.2024 from the Secretary, Ghaziabad Development Authority in respect of the contradictory report/information dated 15.04.2024 by which it was informed that no layout plan is traceable in the record room. Upon which the Secretary, Ghaziabad Development Authority has given an

Oath Commissioner ★ Lucknow ★ Civil Secretariat

explanation through vide letter no. 607/Master Plan Zone-7/2024 dated 15.07.2024 stating that-

"Ghaziabad Development Authority came into existence in 1977, prior to that the authorized officer/authority used to approve the maps and all the records of the said maps and related documents were being kept in the office of the then City Magistrate. It is further submitted that due to the seriousness of the matter, rigorous and earnest efforts were made by the staff of G.D.A. and extra employees, engineers of the concerning Master Record Room were deputed for searching the map. That exercise was carried out for almost two months and Secretary himself was part of the same team and the help of Retired Officer and Employee of the concerned Department was taken and finally in result of the said efforts a copy of the layout plan in question was traced."

ANNEXURE R-3: Letter issued by District Magistrate, Ghaziabad dated 08.07.2024 and an explanation letter given by Secretary, G.D.A. dated 15.07.2024.

12. That a 8 members team/committee of Revenue Department and Municipal Corporation submitted a report dated 16.07.24 to the District Magistrate, Ghaziabad with complete measurement, status of existence of the park, its area and encroachment thereupon. It is submitted that on the basis of the report, the District Magistrate, Ghaziabad sent a

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

comprehensive status report w.r.t. park in question to the State Government.

ANNEXURE R-4: Status report submitted by the District Magistrate; Ghaziabad dated 18.07.2024.

13. That on 19.07.2024 the Joint Secretary, State of U.P. has again issued directions to the Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Ghaziabad to restore the green park and comply the order of National Green Tribunal in true letter and spirit.

ANNEXURE R-6: Letter issued by Joint Secretary, State of U.P. dated 19.07.2024.

14. It is humbly submitted that the deponent, having carefully considering the gravity of the matter, directed the Urban Development Department to forthwith constitute a committee for the purpose of conducting a thorough inspection of the site in question and to submit a comprehensive status report thereon.

ANNEXURE R-7: A true copy of the letter issued by the Joint Secretary, State of UP, dated 22.07.2024.

15. That the above-mentioned committee comprising of the Special Secretary, Urban development department, District Magistrate, Ghaziabad, Development Authority Ghaziabad and Municipal Corporation, Ghaziabad Nigam did a comprehensive survey/inspection of the site 22nd August 2024.

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

It is also submitted during the site-visit, that the history of the land, Lay-out Map and District Magistrate's report dated 18.07.2024 were taken into account and a comprehensive report was submitted with the conclusion that-

A. Adjacent Factory owners have constructed a road on the park land, which has an area of 864 sq.mt. In the original layout map, plots numbers 79 and 80 have been subdivided into small industrial plots and factories are running on that site. The factories which have opened their gates towards the park, are using this road to go to the main road. Apart from the above-mentioned route, they do not have an exit on the road (except the corner plot).

B. The Municipal Corporation has planted trees for in the encroachment free area (8311.80 sq.m.).

C. The remaining part of the park (2864 sq. m) is used for building the Jagjeevan Ram workers' colony, where people from the lower income group have been residing for more than 40 years.

ANNEXURE R-8: A true copy of Site visit report dated 22.07.2024

16.It is humbly submitted that the deponent conducted a further review of the matter on 06th October2024, and convened a meeting with the concerned officers, for the purpose of discussing and addressing the issue at hand. It is germane to mention here that the deponent to further assess

Oath Commissioner ★ Lucknow ★ Civil Secretariat

the situation, directed the Municipal corporation to conduct household survey and assessment of geotag status of Babu Jagjivan Ram Park.

ANNEXURE R-9:A true copy of letter of meeting dated 06.09.2024.

17. It is submitted that Municipal Corporation Ghaziabad has formed 4 teams to conduct a household survey and assessment of geotag status of Babu Jagjivan Ram Park located in Rajendra Nagar Industrial Area under Mohan Nagar Zone on 11.09.2024.The following facts emerged from the site which below-mentioned: -

A. The total area of Park is 12040 sq. mt. Out of which, on 2864 sq. mtr. area, more than 172 houses are built, and 993 persons are residing there for the last 40 years.

B. The existing 9 industries have 119 workers. The road constructed on park land is infront of these factories, occupying 293 sq. mt. area.

C. So out of 12040 sq. mt. park area 3157 sq. mt. in under houses and roads. The remaining 8883 sq. mt. is available as open park.

D. Municipal Corporation has developed around 21000Miyawaki plantation on the remaining encroachment free area.

ANNEXURE R-10: -A true copy of the report of the Additional Municipal Commissioner dated- 11.09.2024.

18. The deponent here state that appropriate and necessary directions has been issued to concerned departments and appropriate steps will be taken

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

following the due process of law to resolve the issue in question. It is further stated that the required remedial actions will be taken in consideration of the issue in hand and by adopting the due process of law.

19. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

Manoj 30.9.24

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Lucknow on this 30 day of September 2024, that the contents of the above affidavit are believed to be true and correct to the best of my knowledge and based of official records. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Oath Commissioner ★ Lucknow ★ Civil Secretariat

Manoj

DEPONENT

कूपन सं० 0212277
द्वारा शपथ की गई मनोज कुमार सिंह, मुख्य सचिव
जिनका परिचय श्री अरविन्द कुमार तिवारी, समीक्षा अधिकारी
दिनांक 30.09.24 समय 3.15 P.m.
वाद संख्या 710/2023
पक्षकार सुशील राघव बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य
न्यायालय मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण
की फीस वसूली गई ....

30.09.24
चन्द्रजीत यादव
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग-8 (लेखा)
उ०प्र० शासन।

30/09/2024
I IDENTIFY THE DEPONENT WHO HAS SIGNED BEFORE ME
अरविन्द कुमार तिवारी
समीक्षा अधिकारी
नगर विकास अनुभाग-5

ANNEXURE-R1

113

ई-मेल-द्वारा

समयबद्ध/महत्वपूर्ण

संख्याःएन0जी0टी0–124/नौ–5–2024–21रिट/2023

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1–निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2–राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय।
3–प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
4–जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
5–नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊःदिनांकः 09मई, 2024

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–710/2023 Sushil Raghav Vs. State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 18.04.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–710/2023 Sushil Raghav Vs. State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 18.04.2024 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। **प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 24.07.2024 को नियत है।**

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–710/2023 Sushil Raghav Vs. State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 18.04.2024 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के अनुपालन में समस्त वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए मा0 एन0जी0टी0 में अनुपालन आख्या दाखिल कराये जाने की कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,
08.05.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–श्री भँवर पाल सिंह जादौन, पैनल अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली।

2–श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,
08.05.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

Oath Commissioner Civil Secretariat Lucknow

Arun Sir GO-VC

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद

संख्या–222 /एस0टी0–डी0एम0/2024 दिनांक 22-जून, 2024

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या– 710/2023, सुशील राघव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18–04–2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपार्युक्त विषयक अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में श्री सुशील राघव द्वारा ओ0ए0 संख्या– 710/2023, सुशील राघव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य योजित किया है जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 18–04–2024 को असंतोष व्यक्त करते हुए आदेश पारित करते हुए निर्देशित किया गया कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के स्तर से प्रकरण में शपथ पत्र दिनांक 24–7–2024 से पूर्व दाखिल किया जाये(छायाप्रति संलग्न)।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त पारित आदेश के कम में संयुक्त सचिव, नगर विकास अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ ने पत्र संख्या–एनजीटी–124/नौ–5–2024–21रिट/2023 दिनांक 08–05–2023(छायाप्रति संलग्न) में अनुरोध किया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के पारित आदेश दिनांक 18–04–2024 में उल्लिखित दिशा–निर्देशो के अनुपालन में समस्त वाछिंत कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए समय से अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण,नईदिल्ली में दिनांक 15–04–2024 को अधोहस्ताक्षरी की ओर से स्टेट्स/कार्यवाही रिपोर्ट दाखिल करायी गयी थी। उक्त स्टेट्स/कार्यवाही रिपोर्ट में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की आख्या भी संलग्न है(छायाप्रति संलग्न)। कृपया उपरोवत प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद द्वारा पूर्व प्रेषित आख्या का गहनता से परीक्षण उपरान्त आख्या एक सप्ताह के अन्दर भिजवाने का कष्ट करें, ताकि शासन को स्थिति से अवगत कराया जा सकें ।

संलग्न :– यथोपरि।

भवदीय,

(इन्द्र विक्रम सिंह),
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद

Oath Commissioner * Civil Secretariat * Lucknow

30.09.24

चन्द्रजीत यादव
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग–8 (लेखा)
उ0प्र0 शासन।

ANNEXURE-R2

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद

संख्या 605/मा० प्लान जोन-7/2024 दिनांक 5/7/2024

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह
सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

सेवा में,

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

विषयः—माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा OA No-710/2023 (I.A. No-835/2023) Sushil Raghav Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 18.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक स्वकीय पत्रांक—184/एस.टी.—डी.एम./2024 दिनांक 07.06.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। महोदय के निर्देशों के अनुसार राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कॉलोनी, जी.टी. रोड साहिबाबाद, गाजियाबाद से सम्बन्धित अभिलेखों को रिकार्ड रूम की सघनता से जाँच कराये जाने के उपरान्त, वर्तमान में नियत प्राधिकारी द्वारा वर्ष 1962 में स्वीकृत तलपट मानचित्र की मात्र एक प्रति प्राप्त हुई, जिस पर स्वीकृति दिनांक 01.01.1962 अंकित है। तलपट मानचित्र से सम्बन्धित पत्रावली अथवा अन्य कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः प्राप्त राजेन्द्रनगर, इण्डस्ट्रियल कालोनी जी.टी. रोड, साहिबाबाद गाजियाबाद का नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत तलपट मानचित्र पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

(राजेश कुमार सिंह)
सचिव

पृष्ठांकन : दिनांक :

प्रतिलिपि—1—उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2— नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद को सूचनार्थ।

सचिव

APPROVED LAY OUT PLAN OF RAJENDRA NAGAR INDUSTRIAL COLONY ON G.T. ROAD MILE 8/7 V. SAHIBABAD TEH: GHAZIABAD

SCALE 82½ FT: 1'

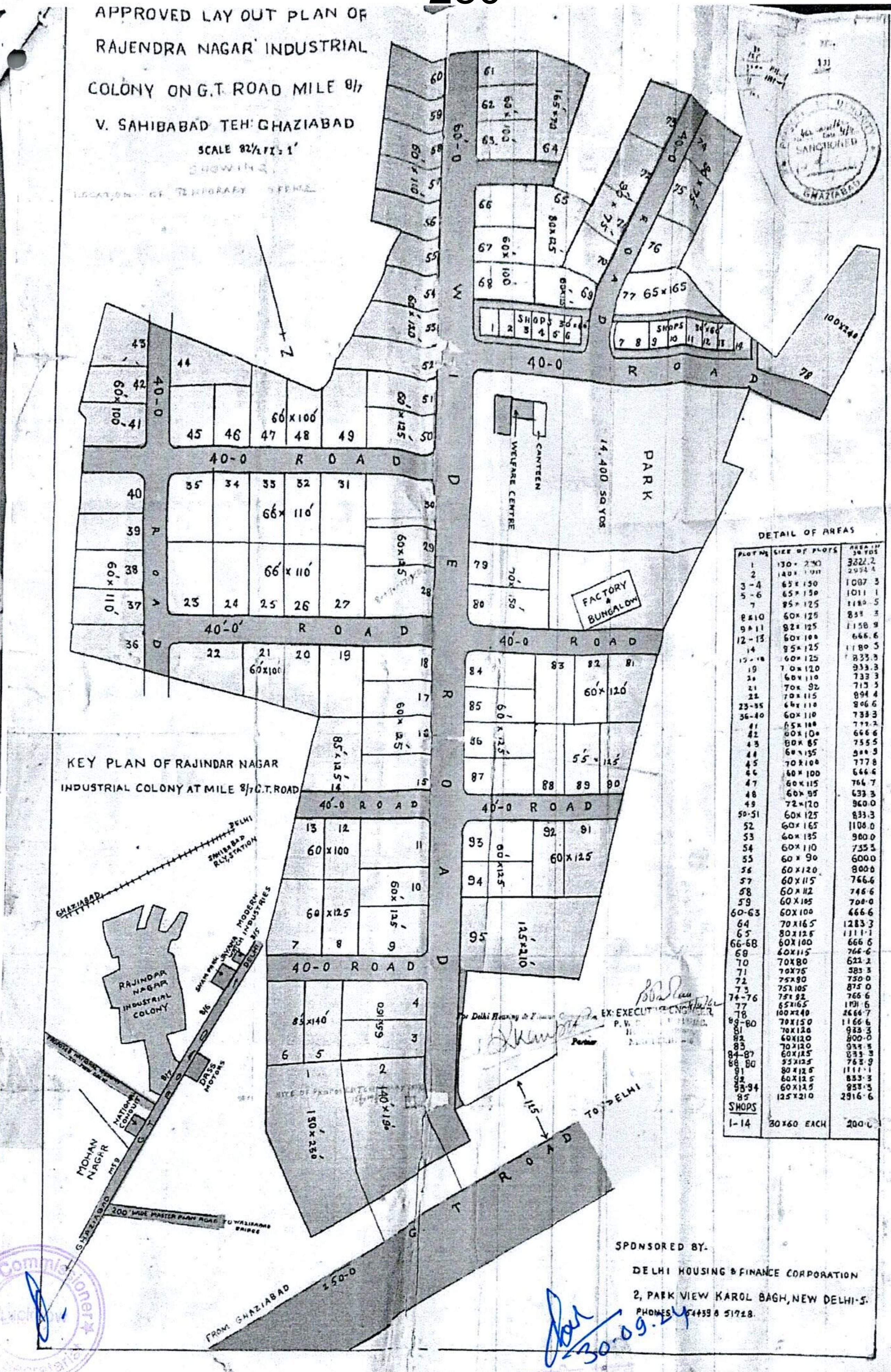

DETAIL OF AREAS

PLOT NO	SIZE OF PLOTS	AREA IN SQ YDS
1	130×230	3322.2
2	140×190	2954.4
3-4	65×150	1087.3
5-6	65×150	1011.1
7	85×125	1180.5
8&10	60×125	833.3
9&11	82×125	1138.9
12-13	60×100	666.6
14	85×125	1180.5
15-18	60×125	833.3
19	70×120	933.3
20	60×110	733.3
21	70×92	715.5
22	70×115	894.4
23-35	66×110	806.6
36-40	60×110	733.3
41	65×100	722.2
42	60×100	666.6
43	80×85	755.5
44	60×135	900.0
45	70×100	777.8
46	60×100	666.6
47	60×115	766.7
48	60×95	633.3
49	72×120	960.0
50-51	60×125	833.3
52	60×165	1100.0
53	60×135	900.0
54	60×110	733.3
55	60×90	600.0
56	60×120	800.0
57	60×115	766.6
58	60×112	746.6
59	60×105	700.0
60-63	60×100	666.6
64	70×165	1283.3
65	80×125	1111.1
66-68	60×100	666.6
69	60×115	766.6
70	70×80	622.2
71	70×75	583.3
72	75×90	750.0
73	75×105	875.0
74-76	75×92	766.6
77	65×165	1191.6
78	100×240	2666.7
79-80	70×150	1166.6
81	70×120	933.3
82	60×120	800.0
83	70×120	933.3
84-87	60×125	833.3
88-90	55×125	763.9
91	80×125	1111.1
92	60×125	833.3
93-94	60×125	833.3
95	125×210	2916.6
SHOPS		
1-14	30×60 EACH	200.0

For Delhi Housing & Finance Corporation
Partner

EX: EXECUTIVE ENGINEER

SPONSORED BY.
DELHI HOUSING & FINANCE CORPORATION
2, PARK VIEW KAROL BAGH, NEW DELHI-5.
PHONES: 54439 & 51728.

30.09.24

न्याय अनुभाग-8 (लेखा)
उ०प्र० शासन।

ANNEXURE - R3

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE GHAZIABAD

फोन नम्बर (0120) 2821616, 2820106, 2828798 (फैक्स)

पत्र संख्या : 270 /एस0टी0–डी0एम0/[illegible]/2024 दिनांक : 08 जुलाई, 2024

सचिव,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषय : **मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0–710/2023 (आई.ए. नं0–835/2023) सुशील राघव बनाम स्टेट आफ यूपी व अन्य के सम्बन्ध में।**

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में अपने पत्र संख्या–605/मा0 प्लान जोन–7/2024 दिनांक 05–07–2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0–710/2023 (आई.ए. नं0–835/2023) सुशील राघव बनाम स्टेट आफ यूपी व अन्य के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराया गया है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रीयल कॉलोनी, जी0टी0 रोड साहिबाबाद, गाजियाबाद का तत्कालीन नियत प्राधिकारी द्वारा वर्ष 1962 में स्वीकृत तलपट मानचित्र की मात्र एक प्रति प्राप्त हुई, जिस पर स्वीकृति दिनांक 01–01–1962 अंकित है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत है कि आपके द्वारा अपने पूर्व प्रेषित पत्र संख्या–164/नियोजन अनुभाग/2024 दिनांक 15–04–2024 में सूचित किया गया था कि राजेन्द्रनगर औद्योगिक कॉलोनी साहिबाबाद के प्रश्नगत ले–आउट प्लान की प्राधिकरण के मास्टर प्लान अनुभाग के रिकार्ड रूम में पर्याप्त खोज करायी गयी, परन्तु प्राधिकरण और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के समय का प्रश्नगत ले–आउट प्लान रिकार्ड रूम में उपलब्ध नही हो पा रहा है। आपके उक्त कथन के आधार पर उपरोक्त वाद में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 18–04–2024 के द्वारा मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन को शपथ पत्र दाखिल कराये जाने के निर्देश दिये गये।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आपके द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र संख्या–संख्या–162/नियोजन अनुभाग/2024 दिनांक 15–04–2024 एवं पत्र संख्या–605/मा0 प्लान जोन–7/2024 दिनांक 05–07–2024 में अंकित आख्याओं में भिन्नता है और यह स्थिति उचित नही है। साथ ही यह दर्शाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित अति महत्वपूर्ण प्रकरणों में शिथिलता बरती जा रही है। अतः आप स्पष्ट करें कि पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 15–04–2024 में गलत सूचना किन कारणों से प्रेषित की गयी। आप अपना स्पष्टीकरण तत्काल/लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करें। अन्यथा की स्थिति में प्रतिकूल संज्ञान लिया जायेगा।

(इन्द्र विक्रम सिंह)
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि : उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

30.09.24

चन्द्रजीत यादव
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग–8 (लेखा)
उ0प्र0 शासन।

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE GHAZIABAD
फोन नम्बर (0120) 2821616, 2820106, 2828798 (फैक्स)

पत्र संख्या : 265 /एस0टी0–डी0एम0/ ... /2024 दिनांक : 08 जुलाई, 2024

नगर आयुक्त,
नगर निगम, गाजियाबाद।

विषय : **मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0–710/2023 (आई.ए. नं0–835/2023) सुशील राघव बनाम स्टेट आफ यूपी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18–04–2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद के पत्र संख्या–605/मा0 प्लान जोन–7/2024 दिनांक 05–07–2024 जो अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित है तथा प्रतिलिपि आपको प्रेषित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0–710/2023 (आई.ए. नं0–835/2023) सुशील राघव बनाम स्टेट आफ यूपी व अन्य के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराया गया है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रीयल कॉलोनी, जी0टी0 रोड साहिबाबाद, गाजियाबाद का तत्कालीन नियत प्राधिकारी द्वारा वर्ष 1962 में स्वीकृत तलपट मानचित्र की मात्र एक प्रति प्राप्त हुई, जिस पर स्वीकृति दिनांक 01–01–1962 अंकित है।

अवगत कराना है कि प्रश्नगत वाद में याची द्वारा राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रीयल कॉलोनी, जी0टी0 रोड साहिबाबाद, गाजियाबाद स्थित पार्क का क्षेत्रफल सड़क/पाथवे, ड्रेन एवं बाउण्ड्रीवाल की शिफ्टिंग करके कम किये जाने की शिकायत की गयी है, जिसके सम्बन्ध में आप द्वारा ले–आउट प्लान की मॉग गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से की गयी थी। वर्तमान में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ले–आउट प्लान उपलब्ध करा दिया गया है। प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में अगली सुनवाई दिनांक 24–07–2024 नियत है और नियत तिथि से पूर्व, मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन का शपथ पत्र मा0 न्यायाधिकरण में दाखिल होना है। वर्तमान में प्रकरण में कार्यवाही नगर निगम द्वारा अपेक्षित है।

अतः प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत अपेक्षा की जाती है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रीयल कॉलोनी, जी0टी0 रोड साहिबाबाद, गाजियाबाद के ले–आउट प्लान के अनुसार मौके पर तत्काल/अविलम्ब कार्यवाही कराकर आख्या 03 दिवस में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाये।

(इन्द्र विक्रम सिंह)
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, नगर निकास अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या–एन0जी0टी0–124/नौ–5–2024–21रिट/2023 दिनांक 08–05–2024 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

30.07.24

चन्द्रजीत यादव
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग–8 (लेखा)
उ0प्र0 शासन।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2015 एवं I.S.0.-14001-2015 प्रमाणित संस्था

पत्रांक : 607/म0प्ला0 जो0-7/2024 दिनांक : 15/7/2024

प्रेषक,

सचिव,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा OA No-710/2023 (I.A. No-835/2023) सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया स्वकीय पत्र सं0–270 / एस0टी0–डी0एम0 / 2024 दिनांक 08 जुलाई 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि पूर्व में रिकार्ड रूम के समस्त बस्ते एवं पत्राविलयों की जांच कराये जाने के उपरान्त पत्रावली प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पत्र सं0–164 / नियोजन अनुभाग / 2024 दिनांक 15.04.2024 के माध्यम से महोदय को सूचना प्रेषित की गयी थी।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद का गठन वर्ष 1977 में किया गया था, जिसके पूर्व नियत प्राधिकारी द्वारा गाजियाबाद क्षेत्र के मानचित्रों की स्वीकृति इत्यादि का कार्य किया जाता था, जिससे सम्बन्धित दस्तावेजों का रख रखाव तत्समय सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा किया जाता था। राजेन्द्र नगर इण्डस्ट्रियल कालोनी का प्रकरण महत्वपूर्ण होने के कारण रिकार्ड रूम में अतिरिक्त कर्मचारियों की टीम द्वारा सघन जांच करायी गयी, परन्तु राजेन्द्र नगर इण्डस्ट्रियल कालोनी से सम्बन्धित अभिलेख प्राप्त नहीं हो सके। रिकार्ड रूम में राजेन्द्र नगर इण्डस्ट्रियल कालोनी से सम्बन्धित अभिलेखों की लगातार खोज–बीन जारी रखी गयी, कर्मचारियों की टीम परिवर्तित करते हुये निरंतर ढूंढने का कार्य किया जाता रहा। चूंकि अभिलेख मा0 हरित न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। अतः राजेन्द्र नगर इण्डस्ट्रियल कालोनी के सम्बन्धित अभिलेखों की जांच हेतु मास्टर प्लान अनुभाग के अभियन्ताओं के साथ अन्य कर्मचारियों की टीम को नियुक्त किया गया। इसके साथ ही रिकार्ड रूम के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों की टीम को भी पृथक से पूर्व से कार्य हेतु नियुक्त टीम के साथ ही रिकार्ड रूम में राजेन्द्र नगर इण्डस्ट्रियल कालोनी के अभिलेखों को ढूंढने हेतु नियुक्त किया गया। मेरे द्वारा रिकार्ड रूम में कई बार स्वयं भी जांच टीम के कार्यो का पर्यवेक्षण किया गया था। समस्त टीम द्वारा दिन–प्रतिदिन प्रत्येक रैक एवं बस्तों की तथा खुले दस्तावेजों की बारीकी से जांच करते हुये, प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा गत लगभग दो माह के अन्तराल में रिकार्ड रूम के लगभग सभी पत्रावलियों को पृष्ठवार पृथक–पृथक देखने के उपरान्त प्राप्त अभिलेख प्रस्तुत किये गये है। रिकार्ड रूम से अभिलेख के रूप में मात्र संदर्भित कालोनी के तलपट मानचित्र की एक प्रति प्राप्त करते हुये हस्तगत कराया गया, जिसकी छायाप्रति महोदय को सुलभ संदर्भ हेतु पुनः प्रेषित की जा रही है।

No. 1500/ST ADM(E)
ADM Sh. Chandresh

भवदीय,

(राजेश कुमार सिंह)
सचिव

पृ0सं0– दिनांक :

प्रतिलिपि–उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

30.09.24

सचिव

ANNEXURE- R4

ANNEXURE- R5

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
नगर विकास अनुभाग–5,
उ0प्र0 शासन।

पत्र संख्या : 297 /एस0टी0–डी0एम0/2024 दिनांक : 18 जुलाई, 2024

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 710/2023 (आई0ए0 नं0 835/2023) सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18–04–2024 के अनुपालन में मा0 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से शपथ पत्र दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या 291/एस0टी0–डी0एम0/2024 दिनांक 16–07–2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राजेन्द्र नगर इन्डस्ट्रियल कालोनी जी0टी0रोड साहिबाबाद स्थित पार्क के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 710/2023 (आई0ए0 नं0 835/2023) सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18–04–2024 के अनुपालन में स्टेटस/कार्यवाही रिपोर्ट मा0 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से शपथ पत्र दाखिल कराये जाने हेतु प्रेषित की गयी थी। मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में उ0प्र0 सरकार के स्थायी अधिवक्ता से विचार विमर्श के उपरान्त कुछ बिन्दुओं को स्पष्ट करने हेतु पुनः स्थलीय पैमाइश करायी गयी तथा संशोधित स्टेटस/कार्यवाही रिपोर्ट तैयार करायी गयी, जो संलग्नकों सहित प्रेषित की जा रही है।

कृपया मा0 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में शपथ पत्र दाखिल किये जाने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

(इन्द्र विक्रम सिंह)
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

प्रतिलिपिः

1. नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

Oath Commissioner ★ CWI Secretariat

माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर 710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में स्टेटस/कार्यवाही रिपोर्ट

1. मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रिंसिपल बैन्च, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर 710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में दिनांक 05-02-2024 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया है :-

"1- In this Original Application, grievance of the applicant was that there was a park earmarked at Rajendra Nagar Industrial Colony on GT Road Mile 8/7 Sahibabad Ghaziabad but the Ghaziabad Municipal Corporation had constructed road/pathway on the land earmarked of the park and was also constructing the drain and shifting the boundary of the park reducing the park area. The Tribunal in the proceeding dated 30-11-2023 considering the grievance of the applicant had formed a joint Commitee and direct the Commitee to submit the report.

2- The report of the joint Commitee filed on 02-02-2024 does not give full and clear details of the park except for referring to some letter revealing that the encroachment free area of the park is 10880 sq. mtrs. and the area of the park on which Babu Jagjivan Ram Colony built illegaly is 7120 sq. mtrs.

3- Respondant no. 6 District Magistrate Ghaziabad represented through the Counsel is directed to file the report/response enclosing therewith a copy of the relevant extract of the Master Plan reflecting the position of the park/area of the park and the extent of the free area and encroachment of the park and also the action taken for removal of the encroachment, if any.

4- Learned Counsel has referred to Annexure A-1 filed along with the OA, which is approved layout plan of Rajendra Nagar Industrial Colony, wherein the park has been clearly shown and its area is reflected as 14400 sq. yards. The District Magistrate should also respond to the said layout plan."

2. मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के परिपालन हेतु कार्यालय पत्र संख्या 77/एस0टी0-डी0एम0/2024 दिनांक 09-04-2024 द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद एवं सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से सन्दर्भित प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए आख्या आहूत की गयी। मुख्य नगर नियोजक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी आख्या पत्रांक 160 दिनांक 12-04-2024 एवं सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी आख्या पत्रांक 162/नियोजन अनुभाग/2024 दिनांक 15-04-2024 द्वारा अवगत कराया गया कि राजेन्द्र नगर औद्योगिक कालोनी जी0टी0रोड साहिबाबाद के प्रश्नगत लेआउट प्लान की पर्याप्त खोज प्राधिकरण के मास्टर प्लान अनुभाग के रिकार्ड रूम में करायी गयी, परन्तु प्राधिकरण और इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के समय का प्रश्नगत लेआउट प्लान रिकार्ड रूम में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

3. नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद द्वारा आख्या पत्र संख्या 7/न0आ0/2024 दिनांक 12-04-2024 के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत

Commissioner ★ Lucknow ★ Civil Secretariat

पार्क के लिए निर्धारित भूमि पर गाजियाबाद नगर निगम द्वारा सड़क/पथ का निर्माण नहीं कराया गया है और न ही नाले का निर्माण कराया गया है। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया गया है, केवल पर्यावरण के दृष्टिगत एवं खाली स्थल पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण न हो, के लिए गाजियाबाद नगर निगम द्वारा लगभग 21000 पौधों का पौधारोपण का कार्य कराया गया है। प्रश्नगत लेआउट प्लान की प्रमाणिकता एवं सक्षम स्तर से अनुपलब्धता के फलस्वरूप वादी द्वारा दाखिल मास्टर प्लान में पार्क के क्षेत्रफल 14400 वर्गगज के सम्बन्ध में आख्या दिया जाना सम्भव नहीं है।

4. मुख्य नगर नियोजक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की आख्या पत्र संख्या 160/नियोजन अनुभाग/2024 दिनांक 12-04-2024 एवं सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की आख्या पत्रांक 162/नियोजन अनुभाग/2024 दिनांक 15-04-2024 तथा नगर आयुक्त की आख्या दिनांक 12-04-2024 उपरोक्त के आलोक में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में स्टेटस/कार्यवाही रिपोर्ट पत्र संख्या 64/एस0टी0-डी0एम0/2024 दिनांक 15-04-2024 के माध्यम से दाखिल करायी गयी। मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा प्रकरण में दिनांक 18-04-2024 को सुनवाई के उपरान्त आदेश पारित किया गया, जिसका मुख्य अंश निम्नवत है :-

"We are surprised with the stand of the District Magistrate that there is no material available relating to existence of park. Hence, we have no option but to direct the Chief Secretary, State of UP to look into the matter and file an affidavit before the Tribunal by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF about the correctness of the stand of the District Magistrate, Ghaziabad and also the status of existence of park, its area and encroachment thereupon and the approved layout plan of Rajendra nagar industrial colony as detailed above. List on 24-07-2024."

5- मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेश दिनांक 18-04-2024 के क्रम में संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या एन0जी0टी0-124/नौ-5-2024-21 रिट/2023 दिनांक 08-05-2024 के अनुपालन में पुनः कार्यालय पत्र संख्या 184/एस0टी0-डी0एम0/2024 दिनांक 07-06-2024 द्वारा नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद, सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण व अन्य से प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत अनुपालन आख्या चाही गयी। पत्र संख्या 222/एस0टी0-डी0एम0/2024 दिनांक 22-06-2024 द्वारा उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को पत्र प्रेषित करते हुए लेआउट प्लान की उपलब्धता के सम्बन्ध में एक सप्ताह में आख्या भेजे जाने हेतु अपेक्षा की गयी। सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या 605/मा0प्लान जोन-7/2024 दिनांक 05-07-2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि राजेन्द्र नगर इन्डस्ट्रियल कालोनी जी0टी0रोड साहिबाबाद से सम्बन्धित अभिलेखों की रिकार्ड रूम में संघनता से जाँच कराये जाने के उपरान्त तत्कालीन नियत प्राधिकारी द्वारा वर्ष 1962 में स्वीकृत तलपट मानचित्र की एक प्रति प्राप्त हुई, जिस पर स्वीकृति दिनांक

Oath Commissioner Civil Secretariat

01–01–1962 अंकित है। तलपट मानचित्र से सम्बन्धित पत्रावली अथवा अन्य कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुये हैं। पत्र की प्रतिलिपि नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद को भी पृष्ठांकित की गयी है।

6. सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपरोक्त पत्र दिनांक 05–07–2024 के द्वारा तलपट मानचित्र उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत राजेन्द्र नगर इन्डस्ट्रियल कालोनी जी0टी0रोड साहिबाबाद से सम्बन्धित पूर्व आख्या दिनांक 15–04–2024 द्वारा लेआउट प्लान की प्रतिलिपि उपलब्ध न होने के विरोधाभासी कथन के सम्बन्ध में पत्र संख्या 270/एस0टी0–डी0एम0/2024 दिनांक 08–07–2024 द्वारा सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का स्पष्टीकरण मांगा गया। तत्क्रम में सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या 607/मा0प्लान जोन–7/2024 दिनांक 15–07–2024 के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद का गठन वर्ष 1977 में किया गया था, जिसके पूर्व नियत प्राधिकारी द्वारा गाजियाबाद क्षेत्र के मानचित्रों की स्वीकृति इत्यादि का कार्य किया जाता था और उससे सम्बन्धित दस्तावेजों का रख–रखाव तत्समय सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा किया जाता था। राजेन्द्र नगर इन्डस्ट्रियल कालोनी का प्रकरण महत्वपूर्ण होने के कारण रिकार्ड रूम में अतिरिक्त कर्मचारियों की टीम द्वारा सघन जाँच करायी गयी, परन्तु राजेन्द्र नगर इन्डस्ट्रियल कालोनी से सम्बन्धित अभिलेख प्राप्त नहीं हो सके। रिकार्ड रूम में राजेन्द्र नगर इन्डस्ट्रियल कालोनी से सम्बन्धित अभिलेखों की लगातार खोजबीन जारी रखी गयी, कर्मचारियों की टीम परिवर्तित करते हुए निरन्तर ढूंढने का कार्य किया जाता रहा। चूंकि अभिलेख मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, अतः राजेन्द्र नगर इन्डस्ट्रियल कालोनी से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच हेतु मास्टर प्लान अनुभाग के अभियन्ताओं के साथ अन्य कर्मचारियों की टीम को नियुक्त किया गया। इसके साथ ही रिकार्ड रूम के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों की टीम को भी पृथक से पूर्व से ही कार्य हेतु नियुक्त टीम के साथ रिकार्ड रूम में अभिलेखों को ढूंढने हेतु नियुक्त किया गया। मेरे द्वारा रिकार्ड रूम में स्वयं कई बार भी जाँच टीम के कार्यों का पर्यवेक्षण किया गया था। टीम द्वारा दिन प्रतिदिन प्रत्येक रैक एवं बस्तों की तथा खुले दस्तावेजों की बारीकी से जाँच करते हुए प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा लगभग दो माह के अन्तराल में रिकार्ड रूम के लगभग सभी पत्रावलियों को पृष्ठवार पृथक–पृथक देखने के उपरान्त प्राप्त अभिलेख प्रस्तुत किये गये हैं। रिकार्ड रूम से अभिलेख के रूप में मात्र सन्दर्भित कालोनी का तलपट मानचित्र की एक प्रति प्राप्त हुई, जिसे हस्तगत कराया गया।

इस प्रकार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से प्रेषित आख्या में राजेन्द्र नगर इन्डस्ट्रियल कालोनी जी0टी0रोड साहिबाबाद से सम्बन्धित लेआउट प्लान रिकार्ड रूम में उपलब्ध न होने की जानकारी दी गयी थी, जिसके आधार पर जिलाधिकारी गाजियाबाद की ओर से मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में स्टेटस/कार्यवाही रिपोर्ट दिनांक 15–04–2024 को प्रेषित की गयी थी।

7. कार्यालय पत्र संख्या 269/एस0टी0–डी0एम0/2024 दिनांक 08–07–2024 के माध्यम से प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा राजेन्द्र नगर इन्डस्ट्रियल कालोनी जी0टी0रोड साहिबाबाद से सम्बन्धित उपलब्ध कराये गये लेआउट

प्लान के अनुसार मौके पर कार्यवाही कराकर आख्या तीन दिवस में उपलब्ध कराने हेतु पत्र नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद को भेजा गया।

नगर आयुक्त नगर निगम द्वारा पत्र संख्या 269/एस0टी0–डी0एम0/2024 दिनांक 08–07–2024 के अनुपालन में नगर निगम एवं राजस्व विभाग की टीम का गठन करते हुए राजेन्द्र नगर इन्डस्ट्रियल कालोनी जी0टी0रोड साहिबाबाद स्थित पार्क के सम्बन्ध में योजित ओ0ए0 संख्या 710/2023 (आई0ए0 संख्या 835/2023) सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18–04–2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। स्थलीय निरीक्षण एवं सीमांकन के उपरान्त आख्या पत्र संख्या 185/न0आ0/2024–25 दिनांक 15–07–2024 प्रेषित किया गया था, जिस पर एन0जी0टी0 में उ0प्र0 सरकार के स्टैडिंग काउन्सिल से विचार विमर्श करने के उपरान्त कुछ बिन्दुओं को स्पष्ट करने के लिए संयुक्त टीम द्वारा पुनः स्थल निरीक्षण एवं सीमांकन का कार्य किया गया एवं आख्या पत्र संख्या 190/न0आ0/2024–25 दिनांक 16–07–2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी। आख्या में अवगत कराया गया है कि राजस्व व नगर निगम की गठित टीम द्वारा अभिलेखीय एवं स्थलीय निरीक्षण किया गया। उक्त पार्क की भूमि ग्राम साहिबाबाद में निजी खाता धारक (प्रताप चंद पुत्र ठाकुरदास) के नाम संक्रमणीय भूमिधर (श्रेणी–1क) दर्ज है।

राजस्व विभाग व नगर निगम की टीम द्वारा सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 05–07–2024 के साथ संलग्न राजेन्द्र नगर इण्डस्ट्रियल कालोनी जी०टी० रोड़ साहिबाबाद (गाजियाबाद) का तत्कालीन विहित प्राधिकारी द्वारा वर्ष 1962 में स्वीकृत तलपट मानचित्र की प्रति, जिस पर स्वीकृति दिनांक 01–01–1962 अंकित है, की प्रति प्राप्त करके स्थल पर आवश्यक पैमाईश का कार्य किया गया तथा स्थल का पृथक–पृथक दो प्रतियों में नजरी–नक्शा तैयार कर पैमाईश अंकित की गयी, जो इस आख्या का अंश रहेगा। सर्वप्रथम अवलोकन से विदित है कि तलपट मानचित्र स्केल पर बनाया गया है, जिसके स्केल में 1 इंच मानचित्र पर 82.5 फुट के बराबर है जिसकी पुष्टि 60 फुट चौड़ी रोड पर पैमाना रखकर की गयी, नक्शे पर रोड की चौडाई पैमाने में 3/4 इंच है, जो 60 फीट दर्शाती है तथा मौके पर भी 60 फीट चौडी पायी गयी। नक्शें में अंकित पार्क का क्षेत्रफल 14400 वर्गगज (12040.2 वर्ग मीटर) है। इसी माप को आधार मानकर संलग्नक–1 में नक्शा प्रदर्शित किया गया है, जिसमें स्केल के अनुसार सभी भुजाओं की माप की गयी है, जिसमें भुजाओं की लम्बाई निम्नवत है:–

भुजा	मानचित्र पर भुजा की लम्बाई (इंच में)
1	2
AB	3.25
BC	5.125
CD	1.5625
DE	0.4375
EF	1.375
FA	6.06

Commissioner ★ Secretariat Civil

तत्पश्चात मौके पर पैमाईश का कार्य किया गया जिसकी माप संलग्न नजरी–नक्शे (संलग्नक–2) में अंकित की गयी है जिसकी भुजाओं का विवरण निम्नवत है:–

भुजा	लम्बाई (मीटर में)	भुजा	लम्बाई (मीटर में)
AB	82.5	BC	12.5
CD	83.5	DN	8.2
NI	78.1	IH	50.1
IJ	25	JK	47.7
KH	25.1	HG	28
GF	11.8	FE	10.1
ED	11.8	GD	10.1
BN	83.61		

संलग्नक–2 में प्रदर्शित अतिक्रमण मुक्त क्षेत्रफल वाली भूमि 9940.8 वर्ग गज (8311.8 वर्गमीटर) तथा 1033.6 वर्ग गज (864.2 वर्ग मीटर) फैक्ट्री संचालकों द्वारा रास्ते में अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा है। शेष क्षेत्रफल 3425.3 वर्ग गज (2864 वर्ग मीटर) में सघन आबादी बनी हुयी है जिसमें निर्बल आय वर्ग के व्यक्ति छोटे–छोटे मकानों में लगभग 40 वर्ष से अधिक समय से निवास कर रहे हैं। स्थल पर पार्क के उत्तर दिशा की ओर फैक्ट्री संचालकों द्वारा पार्क की भूमि में से वर्तमान में 1033.6 वर्गगज (864.2 वर्ग मीटर) भूमि पर अवैध रूप से रास्ते के रूप में प्रयोग किया जा रहा है जो स्वीकृत तलपट मानचित्र में नहीं है। साक्ष्य स्वरूप गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत तलपट मानचित्र/ले–आउट प्लान की प्रति संलग्न है।

इस प्रकार उक्त पार्क की भूमि पर अवैध कॉलोनी का क्षेत्रफल 3425.3 वर्गगज (2864 वर्ग मीटर) तथा पार्क की भूमि में से बने हुये अवैध रास्ता क्षेत्रफल 1033.6 वर्गगज (864.2 वर्ग मीटर) है। शेष भूमि अतिक्रमण मुक्त है। स्थल का नजरी नक्शा संलग्न है।

8. नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या पत्र संख्या 190/न0आ0/2024–25 दिनांक 16–07–2024 के क्रम में कार्यालय पत्र संख्या 296/एस0टी0–डी0एम0/2024 दिनांक 18–07–2024 द्वारा पार्क को पुर्नस्थापित करने के निर्देश दिये गये हैं।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

30.09.24

Oath Commissioner ★ Civil Secretariat ★ Lucknow

... यादव
... अनुभाग अधिकारी
... अनुभाग–8 (लेखा)
उ0प्र0 शासन।

कार्यालयः नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम।
OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, GHAZIABAD MUNICIPAL CORPORATION
दूरभाषः 0120&2790425] 2713580 ई–मेलः gzb.nagar.nigam@gmail.com

पत्रांकः 190/न0आ0/2024–25 दिनांकः 16/07/24

प्रेषक

नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम
गाजियाबाद।

सेवा में

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या–710/2023 (आई0ए0नं0 835/2023) सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांकः–269/एस0टी0–डी0एम0/2024 दिनांक 08.07.2024 (छायाप्रति संलग्न) के कम में पूर्व में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्याः–185/न0आ0/2024–25 दिनांक 15.07.2024 के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में आख्या प्रेषित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में मा0 स्थायी अधिवक्ता से हुयी वार्ता के कम में प्रकरण की संयुक्त आख्या मय नजरी–नक्शा इस पत्र के साथ संलग्न कर पुनः आपकी सेवा में प्रेषित है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय

16/7/24

(विक्रमादित्य सिंह मलिक)
आई.ए.एस.
नगर आयुक्त

Commissioner Lucknow Secretariat ... Civil Secretariat

महोदय,

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्याः–710/2023 (आई0ए0 संख्या 835/2023) सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.06.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में स्थायी अधिवक्ता महोदय के द्वारा दिये गये सुझाव के कम में दिनांक 16.07.2024 को पुनः स्थलीय एवं अभिलेखीय निरीक्षण किया गया।

उक्त के सम्बन्ध में गठित टीम द्वारा राजस्व व नगर निगम की टीम के साथ अभिलेखीय एवं स्थलीय निरीक्षण किया गया। उक्त पार्क की भूमि ग्राम साहिबाबाद में निजी खाता धारक (प्रताप चंद पुत्र ठाकुरदास) के नाम संकमणीय भूमिधर (श्रेणी–1क) दर्ज है।

राजस्व विभाग व नगर निगम की टीम द्वारा सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 05.07.2024 के साथ संलग्न राजेन्द्र नगर इण्डस्ट्रियल कालोनी जी०टी० रोड़ साहिबाबाद (गाजियाबाद) का तत्कालीन विहित प्राधिकारी द्वारा वर्ष 1962 में स्वीकृत तलपट मानचित्र की प्रति, जिस पर स्वीकृति दिनांक 01.01.1962 अंकित है, की प्रति प्राप्त करके स्थल पर आवश्यक पैमाईश का कार्य किया गया तथा स्थल का पृथक–पृथक दो प्रतियों में नजरी–नक्शा तैयार कर पैमाईश अंकित की गयी, जो इस आख्या का अंश रहेगा। सर्वप्रथम अवलोकन से विदित है कि तलपट मानचित्र स्केल पर बनाया गया है, जिसके स्केल में 1 इंच मानचित्र पर 82.5 फुट के बराबर है जिसकी पुष्टि 60 फुट चौड़ी रोड पर पैमाना रखकर की गयी, नक्शे पर रोड की चौडाई पैमाने में 3/4 इंच है, जो 60 फीट दर्शाती है तथा मौके पर भी 60 फीट चौडी पायी गयी। नक्शे में अंकित पार्क का क्षेत्रफल 14400 वर्गगज (12040.2 वर्ग मीटर) है। इसी माप को आधार मानकर **संलग्नक–1** में नक्शा प्रदर्शित किया गया है जिसमें स्केल के अनुसार सभी भुजाओं की माप की गयी है जिसमें भुजाओं की लम्बाई निम्नवत है:–

भुजा	मानचित्र पर भुजा की लम्बाई (इंच में)
1	**2**
AB	3.25
BC	5.125
CD	1.5625
DE	0.4375
EF	1.375
FA	6.06

तत्पश्चात मौके पर पैमाईश का कार्य किया गया जिसकी माप संलग्न नजरी–नक्शे **(संलग्नक–2)** में अंकित की गयी है जिसकी भुजाओं का विवरण निम्नवत है:–

भुजा	लम्बाई (मीटर में)	भुजा	लम्बाई (मीटर में)
AB	82.5	BC	12.5
CD	83.5	DN	8.2
NI	78.1	IH	50.1
IJ	25	JK	47.7
KH	25.1	HG	28
GF	11.8	FE	10.1
ED	11.8	GD	10.1
BN	83.61		

संलग्नक–2 में प्रदर्शित अतिक्रमण मुक्त क्षेत्रफल वाली भूमि 9940.8 वर्ग गज (8311.8 वर्गमीटर) तथा 1033.6 वर्ग गज (864.2 वर्ग मीटर) फैक्ट्री संचालकों द्वारा रास्ते में अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा है एवं शेष क्षेत्रफल 3425.3 वर्ग गज (2864 वर्ग मीटर) में सघन आबादी बनी हुयी है जिसमें निर्वल आय वर्ग के व्यक्ति छोटे–छोटे मकानों में लगभग 40 वर्ष से अधिक समय से निवास कर रहे हैं। स्थल पर पार्क के उत्तर दिशा की ओर फैक्ट्री संचालकों द्वारा पार्क की भूमि में से वर्तमान में 1033.6 वर्गगज (864.2 वर्ग मीटर) भूमि पर अवैध रूप से रास्ते के रूप में प्रयोग किया जा रहा है जो स्वीकृत तलपट मानचित्र में नहीं है। साक्ष्य स्वरूप गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत तलपट मानचित्र/ले–आउट प्लान की प्रति संलग्न है।

इस प्रकार उक्त पार्क की भूमि पर अवैध कॉलोनी का क्षेत्रफल 3425.3 वर्गगज (2864 वर्ग मीटर) तथा पार्क की भूमि में से बने हुये अवैध रास्ता क्षेत्रफल 1033.6 वर्गगज (864.2 वर्ग मीटर) है। शेष भूमि अतिकमण मुक्त है। स्थल का नजरी नक्शा संलग्न है।

उपरोक्तानुसार आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

(सुरेन्द्र सिंह)
लेखपाल
तहसील सदर
गाजियाबाद

(गजेन्द्र सिंह)
राजस्व निरीक्षक,
तहसील सदर
गाजियाबाद

(सुरेन्द्र कौशिक)
राजस्व निरीक्षक (आ०सौ०)
गाजियाबाद नगर निगम

(विश्वनाथ सिंह)
तहसीलदार (आ०सौ०)
गाजियाबाद नगर निगम

(रवि कुमार सिंह)
तहसीलदार सदर
गाजियाबाद

(पल्लवी सिंह)
सहायक नगर आयुक्त,
गाजियाबाद नगर निगम

(अरूण दीक्षित)
उपजिलाधिकारी
गाजियाबाद

(अरूण कुमार)
अपर नगर आयुक्त,
गा०बाद नगर निगम

संलग्नक-01

APPROVED LAYOUT PLAN OF RAJENDER NAGAR INDUSTRIAL COLONY OB G.T.ROAD MILE $\frac{8}{7}$ V. SAHIBABAD TEH: GHAZIABAD

SCALE I' = 82.5'

POINT	DIMENSION IN MAP
1	2
AB	3.25
BC	5.125
CD	1.5625
DE	0.4375
EF	1.375
FA	6.06

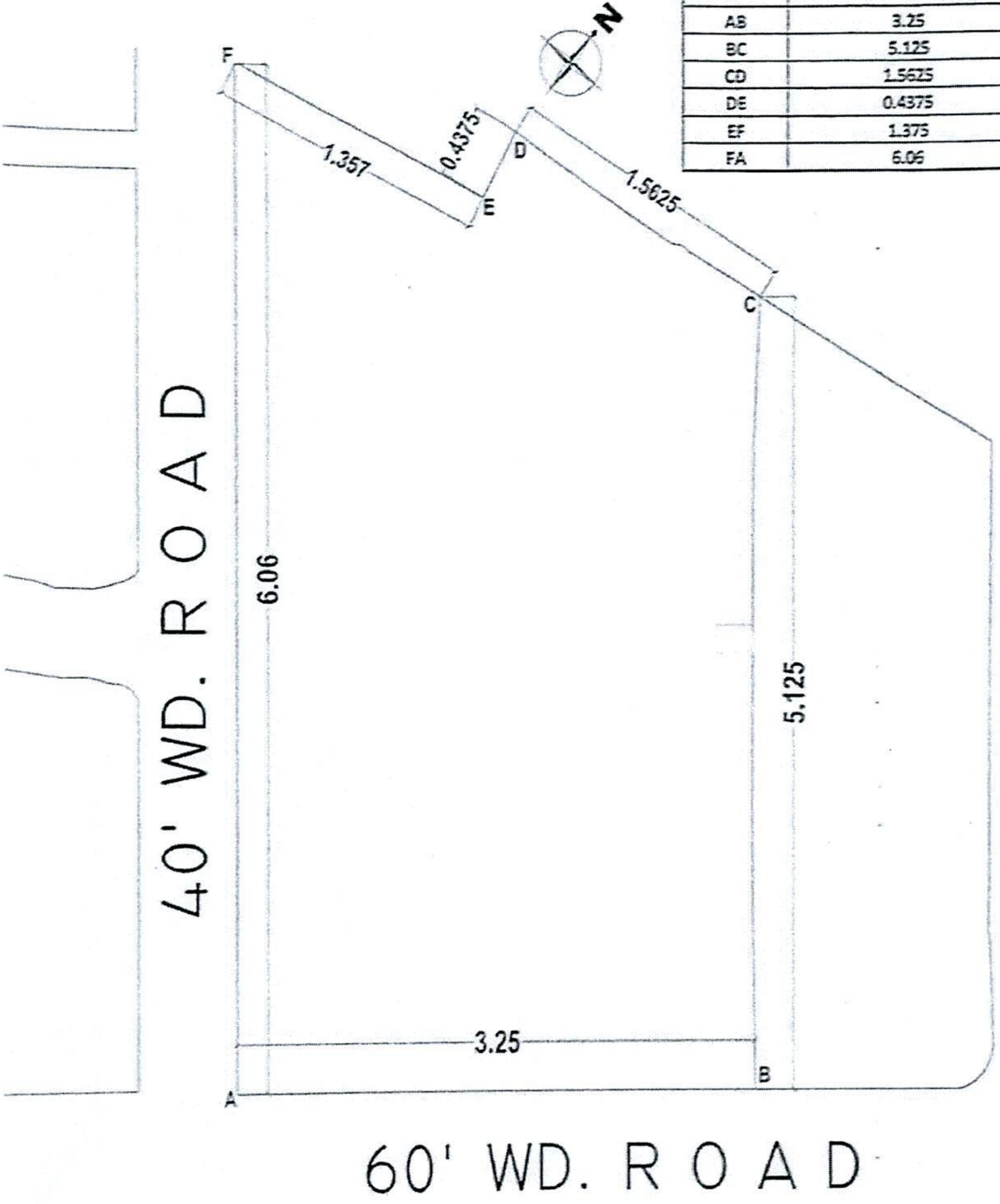

संलग्नक - 02

NAJARI NAKSHA BABU
JAGJEEVAN RAM PARK RAJENDER NAGAR
INDUSTRIAL AREA GHAZIABAD

ALL DIMENSION ARE IN METER

FEALD BOOK AND CALCULATION

POCKET	POINT	DIMENSSION	AREA
P1	A-B	82.5	6970 SQ.MT
	B-N	83.61	
	N-I	78.1	
	I-A	90	
P2	H-I	50.1	1222.62 SQ.MT
	I-J	25	
	J-K	47.7	
	K-H	25.1	
P3	D-E	11.8	119.18 SQ.MT
	E-F	10.1	
	F-G	11.8	
	G-D	10.1	
P4	B-C	12.5	864.225 SQ.MT
	C-D	83.5	
	D-N	8.2	
	N-B	83.61	

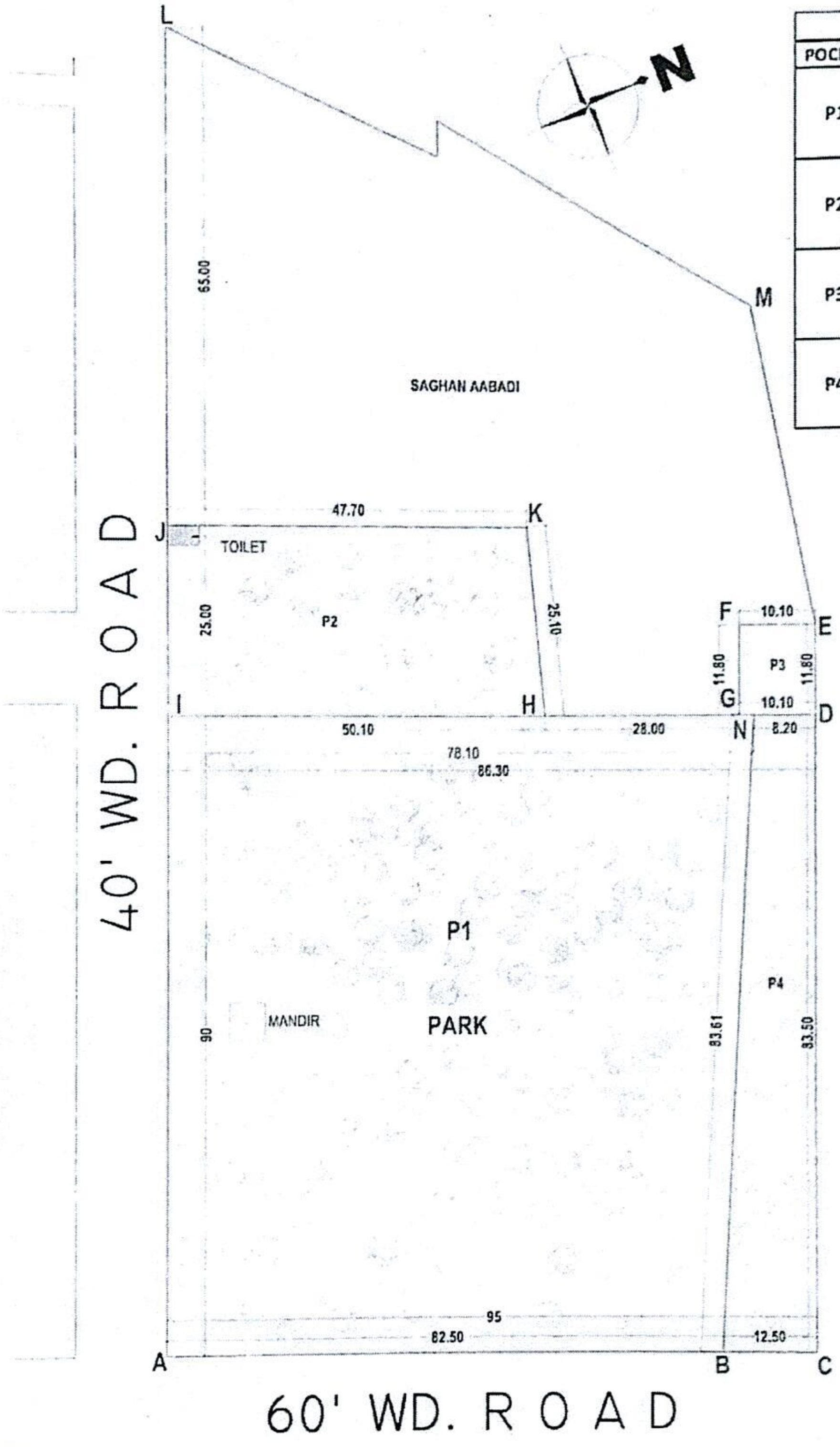

30.09.24

चन्द्रजीत यादव
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग-8 (सेवा)
उ०प्र० शासन।

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद

पत्रांकः 296 /एस0टी0-डी0एम0/गा0बाद/2024 दिनांकः 18 जुलाई, 2024

नगर आयुक्त,
गाजियाबाद नगर निगम।

विषय :- मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 710/2023 (आई0ए0 नं0-835/2023) सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18-4-2024 के कम में पार्क के पुनर्स्थापना के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-4-2024 का सन्दर्भ लें, जिसके कम में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत मानचित्र की पुष्टि करते हुए तलपट मानचित्र की प्रति उपलब्ध करायी गयी है, जिसके आधार पर आप द्वारा अपने पत्र संख्या 190/न0आ0/2024-25 दिनांक 16-7-2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में वर्णित पार्क की वर्तमान स्थिति एवं क्षेत्रफल का उल्लेख किया गया है। जिसे जी0डी0ए0 द्वारा उपलब्ध कराये गये तलपट मानचित्र एवं नगर निगम की आख्या के आलोक में पार्क का पुनर्स्थापन किया जाना आवश्यक है, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-4-2024 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

अतः उक्त कम में निर्देशित किया जाता है कि नगर निगम अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार पार्क को पुनर्स्थापित करने की कार्यवाही सुनिश्चित कराकर कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(इन्द्र विक्रम सिंह)
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव, नगर विकास अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या एन0जी0टी0-124/नौ-5-2024-21रिट/2023 दिनांक 08-5-2024 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

30.09.24

चन्द्रजीत यादव
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग-8 (लेखा)
उ0प्र0 शासन।

Commissioner Lucknow UPO Civil Secretariat

ANNEXURE- R6

समयबद्ध / महत्वपूर्ण

संख्या:एन0जी0टी0–189(1) / नौ–5–2024–21रिट / 2023

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
गाजियाबाद।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 19 जुलाई, 2024

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 710 / 2023 (आई0ए0 नं0–835 / 2023) सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.04.2024 के कम में पार्क के पुनर्स्थापना के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, गाजियाबाद के पत्र संख्या–297 / एस0टी0–डी0एम0 / 2024 दिनांक 18.07.2024 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2– अवगत कराया जाना है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत मानचित्र की पुष्टि करते हुए तलपट मानचित्र के आलोक में पार्क का पुनर्स्थापना किया जाना आवश्यक है, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.04.2024 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया नगर निगम अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार पार्क को पुनर्स्थापित करने की कार्यवाही सुनिश्चित कराकर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,
19.07.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

30.05.24
चन्द्रजीत यादव
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग–8 (लेखा)
उ0प्र0 शासन।

Arun Sir GO-VC

ANNEXURE-R7

समयबद्ध / महत्वपूर्ण

संख्या:4418 / नौ–5–2024–21रिट / 2023

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1–जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2–नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
3–उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊ:दिनांक: 22 जुलाई, 2024

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–710 / 2023 Sushil Raghav Vs. State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 18.04.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–710 / 2023 Sushil Raghav Vs. State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 18.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। **प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 24.07.2024 को नियत है।**

2– उल्लेखीय है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा **श्री सत्य प्रकाश पटेल, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन** को मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–710 / 2023 Sushil Raghav Vs. State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 18.04.2024 के अनुपालन में आज दिनांक 22.07.2024 को स्थलीय निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

3– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विशेष सचिव महोदय के उपरोक्त निरीक्षण में प्रकरण से भिज्ञ अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
22.07.2024.
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि: निजी सचिव, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
22.07.2024
30.09.24
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

चन्द्रजीत यादव
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग–8 (लेखा)
उ0प्र0 शासन।

Arun Sir GO-VC

ANNEXURE-R8

निरीक्षण आख्या

श्री सत्य प्रकाश पटेल, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–710/2023 **Sushil Raghav Vs. State of Uttar Pradesh & Ors** में पारित आदेश दिनांक 18.04.2024 के अनुपालन में दिनांक 22.07.2024 को स्थलीय निरीक्षण आख्या का विवरण निम्नवत् है:–

- अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–710/2023 Sushil Raghav Vs. State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 18.04.2024 का कियात्मक अंश का विवरण निम्नवत् है:–

"--1. In the Original Application, the applicant has raised the grievance that there was a park earmarked at Rajendra Nagar Industrial Colony on G.T. Road Mile 8/7, Sahibabad, Ghaziabad but the Ghaziabad Municipal Corporation is undertaking the activity of construction of road/pathway on the land earmarked for the park and is also constructing the drain and shifting the boundary of the park reducing the park area. The Tribunal by order dated 30.11.2023 had constituted a Joint Committee and called for the report of the Joint Committee.

2. The report of the Joint Committee was considered by the Tribunal on 05.02.2024 noting that the report did not give full and clear details of the park except for referring to some letters revealing that encroachment free area of the park is 10880 sq. mtrs. and that the area of the park on which Babu Jagjivan Ram Colony is built is 7120 sq. mtrs.

3. The stand of the Counsel for the State is that there is no reliable material available about existence of park. He has also disputed the map which has been filed by the applicant. He has also submitted that no layout plan for the area exist.

4. On the examination of the record we noticed that Annexure-A1 filed along with the OA clearly mentions the park area. The report of the Joint Committee encloses the communication sent by the District Magistrate to the Commissioner, Municipal Corporation, Ghaziabad along with certain documents which state that the encroachment free area of the park is 10880 sq. mtrs. and the area encroached by Babu Jagjivan Ram Colony is 7120 sq. mtrs. which is in line with the observations of the Joint Committee. Along with that at Page 108, there is a map enclosed depicting the park area.

5. The Municipal Corporation, Ghaziabad has also filed the report stating that on the vacant area, 21000 saplings have been planted and that in the land earmarked for park, no construction of road/drain has been done by the Ghaziabad Municipal Corporation. This plea of Ghaziabad Municipal Corporation also reveals that the park exist.

6. **We are surprised with the stand of the District Magistrate that there is no material available relating to existence of park. Hence, we have no option but to direct the Chief Secretary, State of UP to look into the matter and file an affidavit before the Tribunal by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF about the correctness of the stand of the District Magistrate, Ghaziabad and also the status of existence of park, its area and encroachment thereupon and the approved layout plan of Rajendra Nagar Industrial Colony as detailed above.**

- प्रश्नगत प्रकरण में जिला प्रशासन तथा नगर निगम द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में निम्नवत् कार्यवाही की गयी है:-
  - **दिनांक 30.11.2023**— मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन में एक संयुक्त समिति का गठन किया गया।
  - **दिनांक 02.02.2024**— उक्त गठित समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।
  - **दिनांक 05.02.2024**— जिलाधिकारी, गाजियाबाद से पार्क का मास्टर प्लान एवं अतिक्रमण के संबंध में आख्या मांगी गयी है।
  - **दिनांक 15.04.2024**— गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत लेआउट प्लान रिकार्ड रूम में उपलब्ध नहीं है।
  - **दिनांक 18.04.2024**— मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश से मुख्य सचिव महोदय की ओर प्रतिशपथपत्र दाखिल किये जाने के निर्देश दिये गये है।
  - **दिनांक 05.07.2024**— गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवकाश प्राप्त कार्मिक को लगाकर, रैक बाई रैक कार्यालय में खोज कराकर 1962 का तत्कालीन नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत तलपट मानत्रित उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्रकरण में जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से स्पष्टीकरण लिया गया।
  - **दिनांक 16.07.2024**— संयुक्त गठित टीम द्वारा स्वीकृत तलपट मानत्रित से पार्क की पैमाईस की गयी है।
  - **दिनांक 18.07.2024**— जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा उक्त रिपोर्ट/आख्या शासन को प्रेषित की गयी है।
- अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.04.2024 के अनुपालन में मुख्य सचिव महोदय की ओर से शपथपत्र

Commissioner Secretariat Lucknow

दाखिल किये जाने के दृष्टिगत मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर दिनांक 22.07.2024 को सम्पन्न ब्रीफिंग में मुझे प्रश्नगत प्रकरण में स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये।

- उक्त निर्देश के क्रम में दिनांक 22.07.2024 तथा 23.07.2024 को मेरे द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में जनपद–गाजियाबाद में गठित समिति की रिपोर्ट के बिन्दुओं गहन परीक्षण, गाजियाबाद से पार्क का मास्टर प्लान एवं अतिक्रमण, संयुक्त गठित टीम द्वारा स्वीकृत तलपट मानत्रित से पार्क की पैमाईस के संबंध में स्थलीय निरीक्षण तथा समिति के सदस्यों के साथ वार्ता/बैठक की गयी।

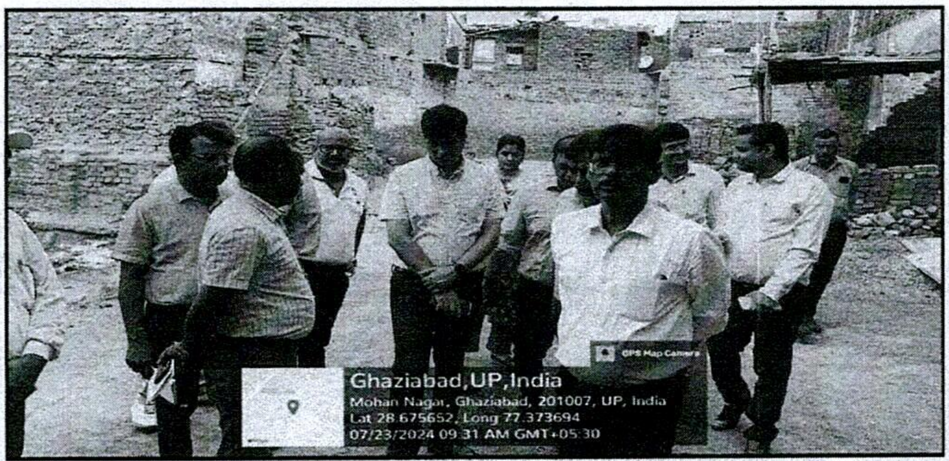

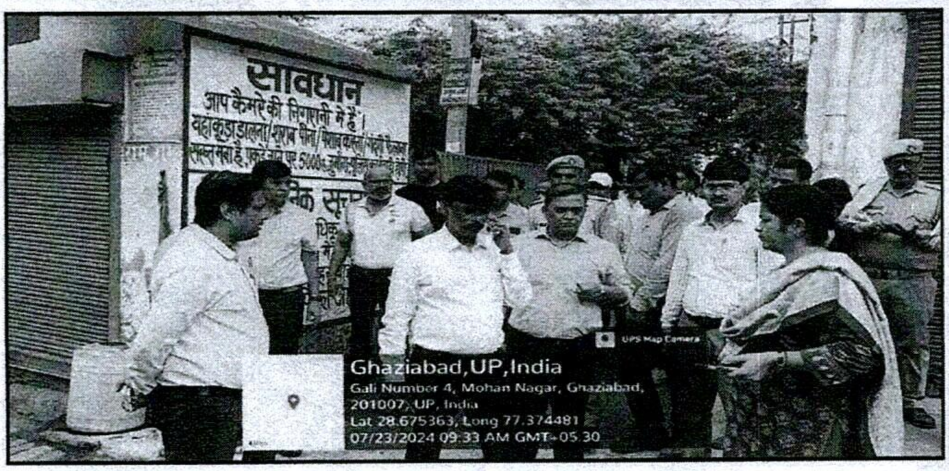

- प्रश्नगत पार्क की भूमि मैसर्स, दिल्ली हॉउसिंग एण्ड फाइनेंस कारपोरेशन, मकान नं0–02, ईस्ट पार्क व्यू, करोल बाग, नई दिल्ली द्वारा श्री कृष्ण कुमार

पुत्र श्री उमा चरण द्वारा 18.04.1962 में श्री प्रीतमचन्द्र चावला पुत्र श्री लाला ठाकुर चन्द्र, प्रोपराइटर–डायना एण्ड कम्पनी, 18–ए, चौरंगी रोड, कलकत्ता से ग्राम–साहिवाबाद, तहसील, गाजियाबाद, तत्कालीन जिला–मेरठ से क्रय की गई 36–18–17 बीघा पुख्ता भूमि का अंग है। मैसर्स–दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाईनेंस कारपोरेशन द्वारा दिनांक 17.03.1961 को उपरोक्त 36–18–17 बीघा पुख्ता का agreement to sale, भू–स्वामी से इस आशय से किया कि उक्त सम्पूर्ण भूमि तीन–हिस्सो/भाग में क्रमशः विक्रय पत्र निस्पादित कराया जाएगा। दिनांक 18.04.1962 को गाटा सं0 203 (1–14–0), 204 (0–7–0), 205(1–12–0), 209 मि0 (0–15–0), 210 मि0(2–15–0), 216/1(0–6–0), 240 मि0 (2–14–0), 235 (2–16–0), 236 मि0 (1–15–0), 218 मि0(0–1–0), कुल 12 किला रक्बा 20 बीघा, 10 विस्वा (20–10–0), पुख्ता का विकय पत्र का पंजीयन और निष्पादन हुआ।

- इसी भूमि पर मै0 दिल्ली हाउसिंग एवं फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा नियत प्राधिकारी/इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट–गाजियाबाद के समक्ष "राजेन्द्र नगर इण्डसट्रियल कॉलोनी–जी0टी0रोड, साहिबावाद, गाजियाबाद का ले–ऑउट पारित करने का आवेदन दिया गया, जिसके क्रम में नियत–प्राधिकारी–इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 01.01.1962 को ले–ऑउट अनुमोदित किया गया। इसी पारित ले–आउट के भीतर 14400 वर्ग गज (अर्थात 12040.20 वर्ग मी0) का पार्क भी शामिल था। प्रश्नगत पार्क के भीतर सड़क और श्रमिकों की जगजीवनराम कॉलोनी बने होने और पार्क को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर मा एन0जी0टी0 में ओ0ए0 संख्या–710/2023 सुशील राघव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य दायर किया गया था।

- जिलाधिकारी–गाजियाबाद की आख्या दिनांक 18 जुलाई, 2024 द्वारा अवगत कराया गया कि पार्क का ले–ऑउट में निर्धारित क्षेत्रफल 14400 वर्ग गज (अर्थात 12040.20 वर्ग मी0) था। वर्तमान में 9940.80 वर्ग गज (8311.80 वर्ग मी0) अतिक्रमण मुक्त पार्क भूमि है तथा 1033.60 वर्ग गज (864.20 वर्ग मी0) पर फैक्ट्री संचालकों द्वारा पक्का रास्ता के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा हैं। शेष क्षेत्रफल 3425.30 वर्ग गज (2864 वर्ग मी0) में सघन आबादी बनी हुई है, जिसमें निर्बल आय वर्ग के व्यक्ति छोट–छोटे मकानों में लगभग 40 वर्षो से अधिक समय से निवास कर रहे है।
- मेरे द्वारा मौके का निरीक्षण दिनांक 22.07.2024 एवं 23.07.2024 को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, नगर–निगम और जिला प्रशासन (उपजिलाधिकारी, गाजियाबाद सदर) के अधिकारियों के साथ किया गया। तत्पश्चात जिलाधिकारी–गाजियाबाद, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण तथा अपर नगर आयुक्त, गाजियाबाद के साथ कलेक्ट्रेट–गाजियाबाद में विचार–विमर्श किया गया।

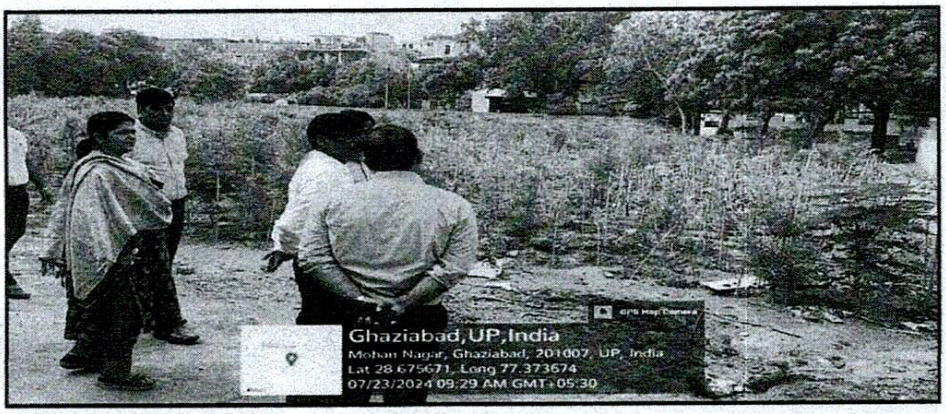

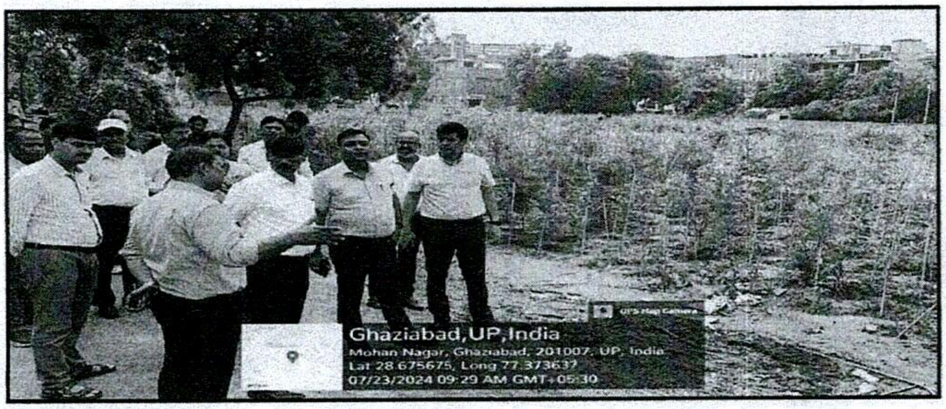

Oath Commissioner NCT Secretariat

- भूमि का इतिहास, ले–ऑउट पारित मानचित्र और पार्क की मौके पर स्थिति और जिलाधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 18–07–2024 का परिशीलन/परीक्षण किया गया। भ्रमण के दौरान दृष्टव्य मुख्य बिन्दु इस प्रकार है–

1– पार्क की भूमि में ही फैक्ट्री मालिकों द्वारा पक्की सड़क बनायी गयी हैं, जिसका क्षेत्रफल 864 वर्ग मी0 है। मूल layout में प्लाट–79 और 80 का मौके पर sub-division कर छोटे–छोटे औद्योगिक प्लाट में विभक्त कर मौके पर फैक्ट्रियां चल रही है। जिन फैक्ट्रियों ने पार्क की ओर गेट खोला है, वे इस रोड का उपयोग मुख्य मार्ग पर जाने के लिए कर रहे है। उपरोक्त रास्ते के अतिरिक्त इनका निकास सड़क पर नहीं है (कॉर्नर प्लाट को छोड़कर)।

2– पार्क के भीतर नगर–निगम द्वारा अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र (8311.80 वर्ग मी0) पर वनीकरण हेतु पौधारोपड़ किया गया है।

3– पार्क के शेष भाग (2864 वर्ग मी0) पर श्रमिकों की जगजीवनराम कॉलोनी बनी है, जिसमें निर्बल आय वर्ग के लोग 40 वर्षों से अधिक वर्षों से आवासित है।

- मौके की भौतिक स्थिति और अभिलेखीय स्थिति उपरोक्तानुसार है। मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशों के अनुपालन में तथ्यात्मक रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

05/08/2024

Oath Commissioner ★ Civil Secretariat Lucknow

30.09.24

चन्द्रजीत यादव
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग–8 (लेखा)
उ0प्र0 शासन।

ANNEXURE R9

Computer No: 1829522

बैठक दिनांक 06.09.2024 को अपरान्ह् 05:00 बजे

संख्या:एन0जी0टी0–243/नौ–5–2024–21रिट/2023

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1–सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2–प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
3–संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
4–जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
5–नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
6–उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
7–मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊ:दिनांक: 02 सितम्बर, 2024

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Execution Application No.33/2021 In O.A No-68/2021 Sushil Raghav Vs.State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 16.05.2024 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–710/2023 Sushil Raghav Vs. State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 24.07.2024 के अनुपालन में विचार–विमर्श हेतु आयोजित बैठक में प्रतिभाग किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के संबंध में अवगत कराया जाना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Execution Application No.33/2021 In O.A No-68/2021 Sushil Raghav Vs.State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 16.05.2024 (प्रति संलग्न) एवं मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–710/2023 Sushil Raghav Vs. State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 24.07.2024 (प्रति संलग्न) के अनुपालन में विचार–विमर्श हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 06.09.2024 को अपरान्ह् 05:00 बजे से एक बैठक आयोजित की गयी है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत सूचनाओं सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त बैठक में लखनऊ मुख्यालय के अधिकारीगण भौतिक रूप से तथा लखनऊ से बाहर के अधिकारीगण एन0आई0सी0 से वर्चुअल माध्यम से उक्त बैठक में प्रतिभाग किया जायेगा।

3– उक्त के अतिरिक्त नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा विषयगत प्रकरणों के संबंध में स्थलीय ड्रोन सर्वे की वीडियोग्राफी कराते हुए बैठक के पूर्व शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिसे मुख्य सचिव महोदय को बैठक के समय प्रस्तुत किया जा सके। A

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,
02.09.2024
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

Arun Sir GO-VC

-2-

-2-

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त</u>

प्रतिलिपिः

1–निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ प्रेषित।

2–प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3–पास ऑफिस, लोक भवन, सचिवालय, उ0प्र0 शासन को उपर्युक्त बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु आगन्तुक अधिकारियों का प्रवेश पत्र निर्गत किये जाने हेत प्रेषित।

4–श्री हेमन्त अरोड़ा, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त बैठक/वीडियों कान्फ्रेंसिंग हेतु यथावश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करायें।

5–श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,
02.09.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

Oath Commissioner Civil Secretariat Lucknow

Arun Sir GO-VC

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Execution Application No-33/2021 In O.A No-68/2021 Sushil Raghav Vs State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 16.05.2024 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-710/2023 Sushil Raghav Vs State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 24.07.2024 के अनुपालन में विचार-विमर्श हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 06.09.2024 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण:-

(1)- श्री अजय कुमार शुक्ला, सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

(2)- श्री आशीष तिवारी, सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(3)- श्री रमाकान्त पाण्डेय, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

(4)- श्री अमित कुमार सिंह, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

(5)- श्री सत्य प्रकाश पटेल, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

(6)-जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

(7)-नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।

(8)-उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

2- अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Execution Application No-33/2021 In O.A No-68/2021 Sushil Raghav Vs State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 16.05.2024 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-710/2023 Sushil Raghav Vs State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 24.07.2024 के अनुपालन में सर्व संबंधित के साथ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई।

उक्त बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही करते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में अगली सुनवाई की तिथि के पूर्व दाखिल किये जाने वाले प्रतिशपथ का आलेख्य तैयार किये जाने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिये गये है:-

क्र0 सं0	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन वाद संख्या एवं पारित आदेश दिनांक	कार्यवाही के निर्देश	कार्यवाही किये जाने वाले संबंधित विभाग
1	Execution Application No-33/2021 In O.A No-68/2021 Sushil Raghav Vs State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 16.05.2024	• विषयगत प्रकरण के संबंध में नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा उक्त क्षेत्रों में अवस्थित घरों की संख्या, कुल सीवर कनेक्शनों की संख्या, पूर्व में डाली गयी सीवर लाइन की लम्बाई का डाटा उपलब्ध कराया जाए।	• नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
		• विषयगत वाद में बची हुई सीवर लाइन, हाउस कनेक्शन इत्यादि के संबंध में डी0पी0आर0 तैयार कर	• नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

		• उपलब्ध कराया जाए। • डी0पी0आर0 प्राप्त होने के पश्चात संबंधित विभाग द्वारा यथाशीघ्र अमृत 2.0 योजनान्तर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही की जाए।	• प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ। • मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र), उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद।
		• उक्त रिपोर्ट/आख्या तथा डी0पी0आर0 प्राप्त होने के पश्चात संबंधित विभाग द्वारा ससमय प्रतिशपथपत्र का आलेख्य तैयार कर उपलब्ध कराया जाए।	• नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2	ओ0ए0 संख्या-710/2023 Sushil Raghav Vs State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 24.07.2024	• विषयगत प्रकरण के संबंध में नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा बाबू जगजीवन राम पार्क का मूल क्षेत्रफल, पार्क में बसें हुए लोगों एवं घरों की संख्या, पार्क से होकर गुजरने वाले पक्के मार्ग की अवस्थिति एवं लम्बाई चौड़ाई तथा मार्ग से जुड़ने वाले औद्योगिक इकाईयों की संख्या व उनमें कार्य करने वाले श्रमिकों का सर्वे कर डाटा उपलब्ध कराया जाए।	• नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
		• उक्त पार्क में अवैध रूप से अवस्थित घरों तथा औद्योगिक इकाईयों हेतु उपलब्ध एकमात्र सम्पर्क मार्ग को हटाये जाने की कार्यवाही विधिक/न्यायसंगत् (due process of law) तरीके से की जाए।	• जिलाधिकारी, गाजियाबाद • नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद • उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
		• उक्त रिपोर्ट/आख्या प्राप्त होने के पश्चात संबंधित विभाग द्वारा ससमय प्रतिशपथपत्र का आलेख्य तैयार कर उपलब्ध कराया जाए।	• नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(सत्य प्रकाश पटेल)
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-5

संख्या-एन0जी0टी0-285/नौ-5-2024-Computer No: 1829522

लखनऊ, दिनांक 27 सितम्बर, 2024

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। -

1. प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ प्रेषित।
4. राज्य मिशन निदेशक (अमृत), नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
8. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
10. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
11. सहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
12. गार्ड बुक।
13. कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

27.09.2024

(कल्याण बनर्जी)

संयुक्त सचिव

30.09.24

चन्द्रजीत यादव
समीक्षा अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग-8 (लेखा)
उ0प्र0 शासन।

Oath Commissioner

ANNEXURE R-10

कार्यालयः नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम।
OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, GHAZIABAD MUNICIPAL CORPORATION
दूरभाषः 0120-2790425, 2713580 ई-मेलः gzb.nagar.nigam@gmail.com
पत्रांकः 365 /न0आ0/2024 दिनांकः 17/09/24

प्रेषकः नगर आयुक्त,
गाजियाबाद नगर निगम।

सेवा में,
प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष विचाराधीन ओ.ए. संख्या-68/2021 व 710/2023 श्री सुशील राघव बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत सादर अवगत कराना है कि उपरोक्त दोनों वादों में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को अनुपालन आख्या दाखिल करने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं, जिसके अनुपालन में ओ.ए. संख्या-68/2021 श्री सुशील राघव बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य के सम्बन्ध में वार्ड संख्या 43 कड़कड मॉडल में स्थित भवनों के सम्बन्ध में समिति बनाकर आवासीय व अनआवासीय भवनों की गणना कर ली गयी है तथा ओ.ए. संख्या 710/2023 श्री सुशील राघव बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य के सम्बन्ध में मोहननगर जोन अर्न्तगत राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित बाबू जगजीवनराम पार्क का हाउस हॉल्ड सर्वे एवं जियोटेग स्थिति का आकलन कराया गया जिसके सम्बन्ध में सर्वे रिपोर्ट तैयार कर ली गयी है।

अतः उपरोक्त दोनों वादों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की आख्या पत्र के साथ संलग्न कर सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

भवदीय,

संलग्नकः-यथोक्त।

(विक्रमादित्य सिंह मलिक)
आई.ए.एस.
नगर आयुक्त

प्रतिलिपिः-निजी सचिव, मा0 मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

(विक्रमादित्य सिंह मलिक)
आई.ए.एस.
नगर आयुक्त

Oath Commissioner Civil Secretariat Lucknow

सम्पत्ति अधीक्षक/सम्पत्ति प्रभारी/अपर नगर आयुक्त महोदय

कृपया पत्रावली पर संलग्न कार्यालय नगर आयुक्त महोदय, गाजियाबाद नगर निगम के पत्रांकः-862/अ0न0आ0/2024 दिनांक 10.09.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आदेश पारित करते हुये मोहन नगर जोनान्तर्गत राजेन्द्र नगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित बाबू जगजीवन राम पार्क का दिनांक 11.09.2024 को प्रातः 8.00 बजे से हाऊस होल्ड सर्वे एवं जियोटैग स्थिति का आकलन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि उपर्युक्त आदेशों के अनुपालन में सभी नामित अधिकारी व कर्मचारी समय से स्थल पर उपस्थित हुये तथा हाऊस होल्ड सर्वे जियोटैग का कार्य प्रारम्भ किया गया। हाऊस होल्ड सर्वे के लिये चार टीमें बनायी गयी। स्थल से पायी गयी सूचना एवं वांछित सूचनायें बिन्दुवार निम्न प्रकार हैः-

1. राजेन्द्र नगर इन्डस्ट्रीयल कालोनी जी.टी. रोड मील 8/7 ग्राम साहिबाबाद तहसील गाजियाबाद का ले-आऊट प्लान दिल्ली हाऊसिंग एण्ड फाईनैन्स कारपोरेशन, 2, पार्क विव करोल बाग नई दिल्ली द्वारा प्रेसक्राईब्ड अथोरिटी गाजियाबाद से दिनांक 01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया। उक्त इण्डस्ट्रियल एरिया की भूमि प्रीतमचन्द चावला पुत्र लाला ठाकुर दास प्रोपराईटर देना एण्ड कम्पनी, 18ए चौरंगी रोड कलकत्ता के नाम थी। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आऊट प्लान में 14400 वर्गगज का एक पार्क का प्रावधान करते हुये कैन्टीन व वैलफेयर सैन्टर की व्यवस्था की थी। उद्योगों के प्रारम्भ से ही उक्त पार्क के पश्चिम भाग में श्रमिकों द्वारा अस्थायी रूप से रहने की व्यवस्था कर ली गयी, जो धीरे-धीरे श्रमिक बस्ती के रूप में तब्दील हो गयी तथा 172 परिवारों ने अपने कच्चे-पक्के आवास बना लिये जो बे-तरतीब बने हुये है तथा चार-पांच फुट चौडी गलियों के इर्द-गिर्द दो से तीन मंजिल तक के बने हुये है। पार्क के उत्तर की ओर प्लाट नम्बर-79 पार्क से सटा हुआ था, जिसका मुख पूरब की ओर 60 फिट चौडी रोड पर था तथा प्लाट नम्बर-79 के उत्तर में प्लाट नम्बर-80 बना हुआ था। प्लाट नम्बर-80 के पूरब में 60 फुट व उत्तर में 40 फुट की रोड दर्शायी गयी है। मौकें पर 40 फुट वाली रोड अपनी स्थिति में नही है तथा प्लाट संख्या-79 व 80 के पश्चिम में फैक्ट्री व बंगला दर्शाया गया है। कालान्तर में प्लाट संख्या-79,80 व फैक्ट्री व बंगला वाले भूखण्ड को ले-आऊट के सापेक्ष बदलते हुये पार्क की ओर मुख करते हुये नौं प्लाटों का सृजन किया गया, जिन पर प्लाट संख्या-80K नाम दिया तथा पार्क की भूमि की ओर रास्ता बताते हुये छोटे-छोटें नौं प्लाट कायम कर दिये, जिनमें छोटे-छोटे उद्योग चल रहे है। इन्ही नौं फैक्ट्रियों के मालिकों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार पार्क की भूमि में सी.सी. रोड तैयार करा ली, जिसमें पार्क की लगभग 293 वर्गमीटर भूमि आच्छादित है। पार्क में खाली भूमि में नगर निगम द्वारा पौधारोपण (प्लान्टेशन) किया गया है तथा मियावाकी पद्वति से वृक्षारोपण किया गया है। फैक्ट्री मालिकों द्वारा पार्क की भूमि में सी0सी0 रोड बनाने के फलस्वरूप माननीय नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के समक्ष ओ0ए0 दाखिल की गयी।

2. प्रश्नगत बाबू जगजीवन राम पार्क राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र के ले-आऊट में बनाया गया है, जिस पर ले-आऊट के अनुसार विकासकर्ता कम्पनी का नाम दिल्ली हाऊसिंग एण्ड फाईनैन्स कारपोरेशन दर्ज है।
3. ले-आऊट प्लान पर पार्क का एरिया 14400 वर्ग गज अंकित है।
4. प्रश्नगत पार्क में स्थित रोड़ का क्षेत्रफल 293 वर्गमीटर व आबादी का क्षेत्रफल लगभग 2864 वर्गमीटर है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-492/2/2024 दिनांक 05.09.2024 के अनुसार। प्रति संलग्न है।
5. प्रश्नगत पार्क के एरिया में आवासित परिवारों/घरों की संख्या-172 है, जिसमें कुल 993 व्यक्ति आवासित है। सूची संलग्न है।
6. पार्क के एरिया में बनी रोड़ के एक साईड में 9 फैक्ट्री है, उनमें कार्यरत कर्मचारियों की मालिकों सहित कुल संख्या-119 का विवरण साथ संलग्न है।
7. ले-आऊट प्लान में रोड नही है। फैक्ट्री मालिकों द्वारा 12.5 मीटर चौडी रोड बना ली गयी थी, जिसमें 864.2 वर्गमीटर भूमि आच्छादित थी। परन्तु अब रोड में लोहे के पाईप लगाकर चौडाई 4.5 मीटर चौडी कर ली गयी है। रोड़ में 293 वर्गमीटर भूमि आच्छादित है।

उपरोक्तानुसार आख्या सादर प्रस्तुत है।

(बनवारी लाल)
लेखपाल (आ0सौ0)
गाजियाबाद नगर निगम

(सुरेन्द्र कौशिक)
रा0नि0(आ0सौ0)
गाजियाबाद नगर निगम

(ओमकार सिंह)
रा0नि0(आ0सौ0)
गाजियाबाद नगर निगम

(मोहन लाल)
नायब तहसीलदार
(आ0सौ0)
गाजियाबाद नगर निगम

(विश्वनाथ सिंह)
तहसीलदार
(आ0सौ0)
गाजियाबाद नगर निगम

(रामशंकर)
सम्पत्ति अधीक्षक
गाजियाबाद नगर निगम

(पल्लवी सिंह)
सहायक नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम

11.9.24
(अरूण कुमार)
अपर नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम

30.09.24

बाबू जगजीवन राम पार्क, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद हाऊस होल्ड सर्वे का प्रारूप

क्र.सं.	नाम पिता/पत्नी का नाम	एरिया(वर्ग गज)	फ्लोर(मंजिल)	परिवार में रह रहे सदस्यों की संख्या	भवनकर/टैक्स की स्थिति
1	श्री राधेश्याम पुत्र रामस्या	25	2	5	----------
2	श्री मोती लाल पुत्र मुकेश	25	1	4	----------
3	श्री राजेश व मुकेश पुत्र स्वः हरीश चन्द	36	2	7	----------
4	श्री उदय प्रकाश व सतीश पुत्र स्वःमथुरा प्रसाद	35	2	7	----------
5	श्री रामनैन यादव पुत्र राजबलि यादव	40	2	7	----------
6	श्री प्रमेश कुमार पुत्र शिवनाथ	20	1	6	----------
7	श्री अनिल कुमार पुत्र राम मनीधर	20	1	6	----------
8	श्री रमेश पुत्र शिवनाथ	20	1	5	----------
9	श्री रिषी केश पुत्र शंकर	30	1	6	----------
10	श्रीमती फूलमति पत्नी जया राज	30	2	5	----------
11	श्री गोपाल रजक, गंगाराम व रोहित रजक व दमोदर रजक	40	3	18	----------
12	श्रीमती अनीता देवा व विष्णु पुत्र माधव प्रसाद	25	2	11	----------
13	श्री दिनेश सिद्ध, पुनित पुत्र दिनेश सिंह	30	2	4	----------
14	श्री धन्नजय राज पुत्र केदार नाथ राय	25	2	6	----------
15	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र कल्लू सिंह	25	2	7	----------
16	श्री दिलीप पासवान पुत्र गांधी पासवान	25	2	6	----------
17	श्री काशीनाथ प्रसाद	60	2	15	----------
18	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र भूलेखन सिंह	25	1	5	----------
19	श्रीमती चंदा सिंह पत्नी लल्लन सिंह	30	2	4	----------
20	श्री अजय कुमार पत्नी प्रताप सिंह	50	2	4	----------
21	श्री सुरेन्द्र	50	1	4	----------
22	श्री विजय लक्ष्मी पत्नी स्वः रमेश चन्द	70	2	4	----------
23	श्री किशन पुत्र रामजी गुप्ता	30	2	4	----------
24	श्री रणजीत पत्र काशी नाथ	40	1	5	----------
25	श्री पप्पू	25	2	3	----------
26	श्री गापोल पुत्र दामोदर	30	1	6	----------

27	श्री काशिम	15	2	4	----------
28	श्री सोनू व सुनिल पुत्र स्वः लालमन	20	1	4	----------
29	श्री राज किशोर यादव पुत्र जगरोपण यादव	50	2	4	----------
30	श्री मंथ लाल पुत्र राम नन्न	40	1	4	----------
31	श्री गया प्रसाद कश्यम पुत्र	30	1	4	----------
32	श्री धमेन्द्र सैन पुत्र सुरेन्द्र सैन	40	2	3	----------
33	श्री प्रदीप राम पुत्र नाथुनी	24	1	7	----------
34	श्री किशन राम पुत्र नाथुनी	24	1	8	----------
35	श्री दिनेश गुप्ता पुत्र रामजी गुप्ता	30	2	4	----------
36	श्री हरेन्द्र राय पुत्र केदार नाथ	25	2	9	----------
37	श्री राम प्रवेश पुत्र नन्द जी गुप्ता	35	2	12	----------
38	श्री अशोक कुमार	16	3	8	----------
39	श्री ऋषिपाल भाटी	10	2	6	----------
40	श्री आकाश	9	3	5	----------
41	श्री राज	10	2	4	----------
42	श्री राज देव	10	2	5	----------
43	श्री सचेन्द्र सिंह	16	3	4	----------
44	श्री प्यारे लाल	15	3	7	----------
45	श्री राम देव	15	2	9	----------
46	श्री रवि पूजन	20	2	6	टैक्स लगा है
47	श्री विनोद	25	2/1	5	----------
48	श्री पाल वर्मा	12	2	3	----------
49	श्री राहुल	12	2	2	----------
50	श्री सुनीलकुमार सिह	12	3	2	----------
51	श्री दीपक, प्रदीप	55	2	8	----------
52	श्री जय करन	30	3	5	----------
53	श्री राघव पासवान	30	3	6	----------
54	श्री प्रेम	30	2	11	टैक्स लगा है
55	श्रीमती राजकुमारी कश्यप	12	1	5	----------
56	श्री प्रताप सिंह	120	1	2	----------
57	श्री हरिओम	20	3	4	----------
58	श्री रामचन्द मिश्रा	30	3	3	----------
59	श्री जगदीश	25	3	5	----------
60	श्री बनवारी लाल	18	2	7	----------
61	श्री देवेन्द्र	9	3	5	----------
62	श्री विनोद	6	2	5	----------
63	श्री संजय	25	2	6	----------
64	श्री मनोज शाह	27	2	4	----------
65	श्री लक्ष्मी नारयण	20	3	6	टैक्स लगा है
66	श्री सतेन्द्र	20	1	4	----------
67	श्री बाबू लाल	25	2	11	----------

Oath Commissioner Civil Secretariat

68	श्री हुकुम सिंह	22		3	------------
69	श्री देवी शाह	25	2	3	------------
70	श्री पूरन	22	2	1	------------
71	श्री शिव प्रसाद	18	3	5	------------
72	श्री गिरिराज	16	2	7	------------
73	श्रीमती सीता	25	2	4	------------
74	श्रीमती सीता	24	1	4	------------
75	श्री सतपाल	25	2	10	------------
76	श्री अरूण कुमार झा	25	1	3	------------
77	श्री जयचन्द्र झा	25	2	8	------------
78	श्री सुखदेव	6	2	6	------------
79	श्री प्रेमनाथ	8	2	6	------------
80	श्री महादेव प्रसाद पुत्र रामचरन	100	1	3	------------
81	श्री सन्तराम पुत्र मांगेराम	20	2	4	------------
82	श्री राजान सिंह पुत्र बाबू सिंह	37	2	6	------------
83	श्री विक्रम पुत्र राम नारायण	180	2	7	------------
84	श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र राम बदन महतो	30	3	6	------------
85	श्रीमती गीता पत्नी राज कुमार	15	2	5	------------
86	श्री मेला राम पुत्र गुरूराम	15	2	3	------------
87	श्री रवि सिंह पुत्र कैलाश सिंह	14	1	3	------------
88	सिरेन्द्र पुत्र रिछपाल	36	1	4	------------
89	श्री योगेन्द्र सिह	50	2	5	------------
90	श्रीमती निर्मला पत्नी किशोर	30	1	7	------------
91	श्री हृदय लाला गुप्ता पुत्र फूलचन्द	13	1	7	------------
92	श्रीमती तुलसी देवी	12	1	6	------------
93	श्री रामराज पुत्र बनवारी	25	1	5	------------
94	श्री जयराम पुत्र नाथु	22	2	5	------------
95	श्री विशमणी पुत्र राम किशन	10	1	5	------------
96	श्री अनिल पुत्र रामध्वज	10	1	4	------------
97	श्री हरिलाल	12	3	5	------------
98	श्री आलम पुत्र मुस्तकीम	10	1	4	------------
99	श्री बैजनाथ पुत्र फतोरजक	15	1	5	------------
100	श्री नरेन्द्र पुत्र धनपत	30	2	9	------------
101	श्री झोटल चौपाल	12	2	7	------------
102	श्री उमेश ठाकुर पुत्र श्याम बहादुर	15	1	9	------------
103	श्री ब्रजमोहन पुत्र राम परवेश	15	2	5	------------
104	श्री हरि नारायण	10	1	4	------------
105	श्री तेजू रजत	10	1	4	------------
106	श्री वकील शर्मा पुत्र राम शंकर वर्मा	10	2	4	------------
107	श्री जगदीश पुत्र हरीलाल	25	1	5	------------
108	श्री राजेश पुत्र हरी लाल	25	1	4	------------

109	श्री लीलू पुत्र विदय राम	28	1	5	----------
110	श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र बंगाली शर्मा	25	3	6	----------
111	श्री सुधामा प्रसाद	20	2	3	----------
112	श्री मिथून कुमार	50	5	5	----------
113	श्री महेन्द्र साह पुत्र भानू साह	40	13	13	----------
114	श्री चन्द्रकान्त झा पुत्र सत्य देव झा	30	11	11	----------
115	श्री विक्रम मिश्रा पुत्र राम नारायण	15	5	5	----------
116	श्री सुभाष सिंह पुत्र ठाकुर सिंह	18	4	4	----------
117	श्री विश्वनाथ पुत्र भिखारी नाथ	20	8	8	----------
118	श्री लल्लन सिंह पुत्र स्वः बरवन सि	20	5	5	----------
119	श्री सुशील प्रजापति पुत्र ध्रुव प्रसाद	20	5	5	----------
120	श्री सोनू पुत्र इन्द्रराज	15	3	4	----------
121	श्रीमती मीना देवी	13	2-5	1	----------
122	श्रीमती शीला पत्नी कमल	20	3	10	----------
123	श्री अर्जुन वर्मा पुत्र सुन्दर वर्मा	20	3	5	----------
124	श्री जगदीश	25	1	7	----------
125	श्री रमेश कुमार पाला	12	2	6	----------
126	श्री नाथू राम	12	2	4	----------
127	श्री राज कुमार	12	2	7	----------
128	पाला	25	3	11	----------
129	किशनलाल	25	1	11	----------
130	लालन सिंह	12	2	7	----------
131	श्री किशन यादव	20	2	3	----------
132	श्री शिव प्रसाद	20	2	3	----------
133	श्री भीम सैन	25	2	8	----------
134	श्री राम स्वरूप पुत्र सदाय	25	2	8	----------
135	श्री राम जीलाला पुत्र राम सहाय	20	2	5	----------
136	श्री विष्णु पुत्र राम लाल	25	2	4	----------
137	श्री रामलाल	25	1	6	----------
138	श्री महीपाल पुत्र पूरन सिंह	80	1	8	----------
139	श्री लक्ष्मी कान्त शुक्ला	50	1	8	----------
140	श्री सागर पुत्र जनेश	30	1	3	----------
141	श्री जनेश पुत्र जी तरफ	35	1	4	----------
142	श्री लोकेश पुत्र हरि किशन	35	1	4	----------
143	श्री राकेश पुत्र हरिकिशन	35	1	4	----------
144	श्री दीपक पुत्र जय किशन	30	1	5	----------
145	श्री राहुल पुत्र जयकिशन	60	1	4	----------
146	श्री सुरेन्द्र पुत्र जीतराम	60	1	4	----------
147	श्री राजेश पुत्र राय..	100	1	12	----------
148	श्री परदेशी पुत्र बेनीराम	30	1	4	----------
149	श्री राजू पुत्र घन्नालाल	35	1	6	----------
150	श्री रतन पुत्र सन्तराम	25	1	11	----------

(05)

N.F.O.

I.S.

151	श्री रतन लालड पुत्र सन्तराम	25	1	4	-----
152	श्री गिरिराज प्रसाद	30	1	5	-----
153	श्री पूरन चन्द पुत्र रामसहाय	25	1	9	-----
154	श्री टेक चन्द पुत्र बुद्धराम	25	1	6	-----
155	श्रीमती गुलाबदेवी पत्नी देवी राम	18	1 .	5	-----
156	श्री चिरंजीलाल	30	1	11	-----
157	श्री कमला पत्नी राम किशन	20	1	2	-----
158	श्री पप्पू शाह	35	4	5	-----
159	श्री नैन पाल पुत्र निहारी	50	3	7	-----
160	श्री बली सिंह पुत्र बिहारी	25	3	6	-----
161	श्री गजवीर पुत्र बिहारी	20	2	5	-----
162	श्री लखमीर पुत्र बिहारी	20	2	7	-----
163	श्री शीशपाल पुत्र धन सिंह	30	2	7	-----
164	श्री जोजू लाल राम जतन	50	3	7	-----
165	श्री चित्र बहादुर पुत्र बल बहादुर	40	2	10	-----
166	श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र महाराज सिंह	35	2	7	-----
167	श्री वाश्लाल पुत्र पूनराम	80	1	2	-----
168	श्री फूलवती पत्नी स्वः डोरीलाल	30	3	8	-----
169	श्री संजय शुक्ला पुत्र लक्ष्मी कान्त	40	2-5	9	-----
170	सत्यवती पत्नी राजवीर	18	1	5	-----
171	श्री सोनू पुत्र स्वः राजवीर	20	4	5	-----
172	श्री आशुतोष पुत्र ओम प्रकाश	50	1	4	-----
	योग	4885		993	

फैक्ट्री का विवरण

क्र.सं.	पिता/पत्नी का नाम	सम्पत्ति कर की स्थिति	फर्म का नाम
1	श्री चन्द्रवती यादव पत्नी जे0एन0 यादव	कर आरोपित है, जिसका भुगतान किया जा रहा है।	जे.सी. इन्जीनियरिंग वर्क्स
2	श्री इन्द्रजीत	" "	स्वामी स्टील
3	श्री राजेन्द यादव	" "	एनीलिफ्टर इण्डिया प्रा0 लि0
4	श्री बृजराज पुत्र साहब सिंह	" "	चौधरी स्टील फैब्रीकेशन
5	श्री तनेजा	" "	आर.पी. इन्जीनियर्स
6	श्री अनुराग यादव	" "	युग इन्डस्ट्रीज
7	श्री राम वर्मा	" "	लिफ्ट स्पेयर इन्जी0
8	श्री योगश चावला	" "	सिटीजन मेटल इन्ड0
9	सुखदेव	" "	एच.आर. टैडर्स

Oath Commissioner Civil Sec

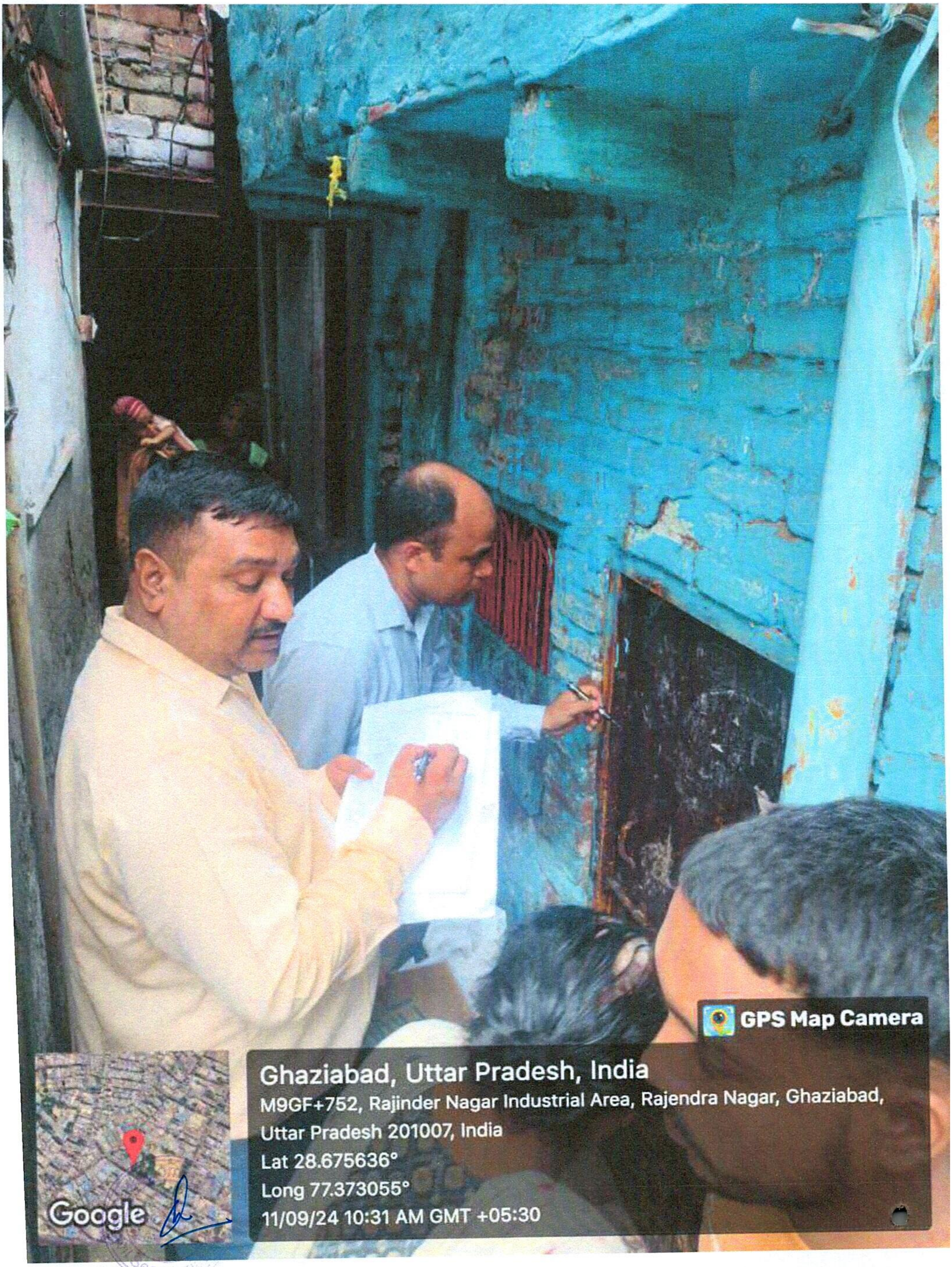
GPS Map Camera
Ghaziabad, Uttar Pradesh, India
M9GF+752, Rajinder Nagar Industrial Area, Rajendra Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201007, India
Lat 28.675636°
Long 77.373055°
11/09/24 10:31 AM GMT +05:30
Google

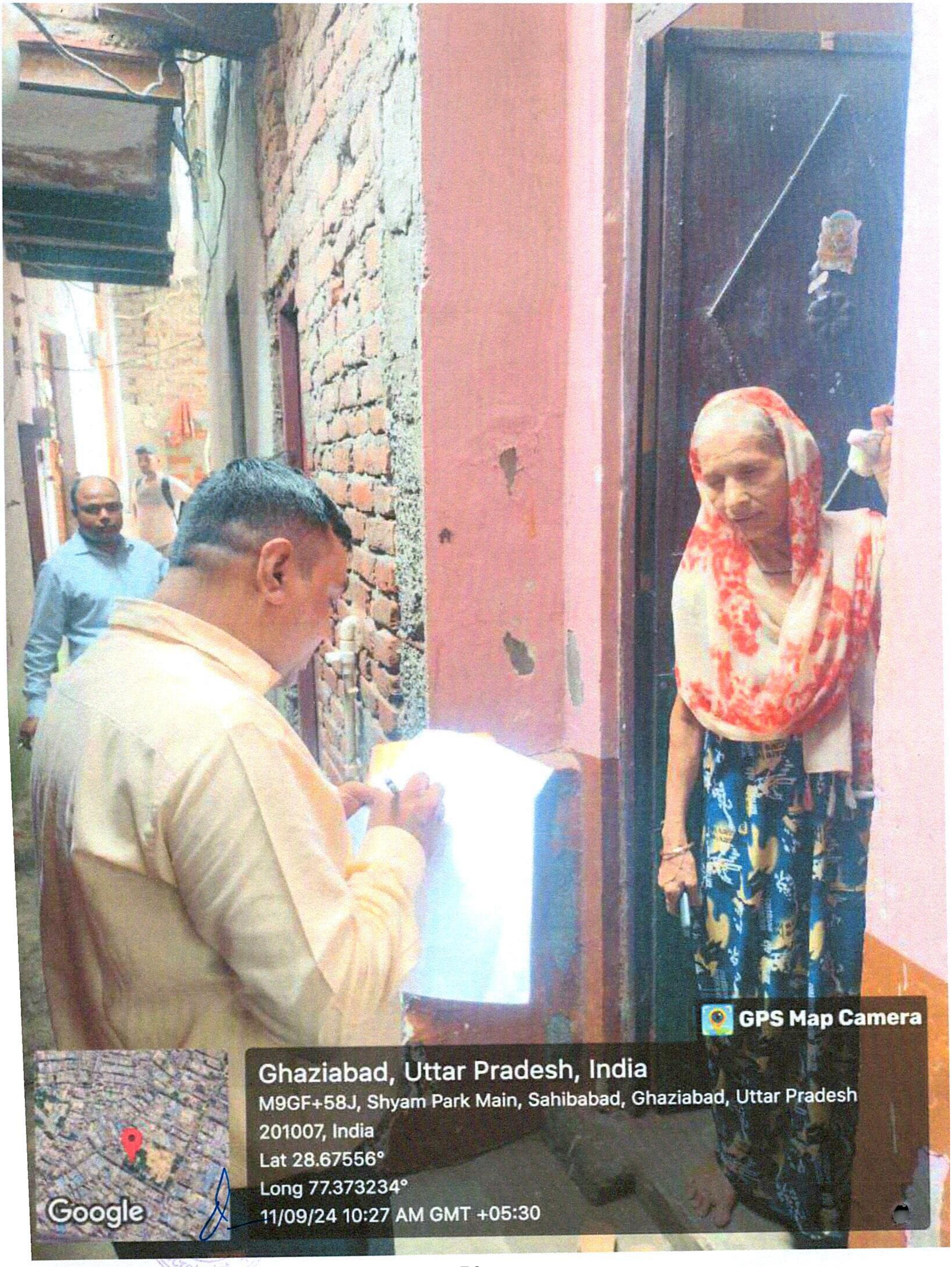
GPS Map Camera
Ghaziabad, Uttar Pradesh, India
M9GF+58J, Shyam Park Main, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201007, India
Lat 28.67556°
Long 77.373234°
11/09/24 10:27 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Ghaziabad, Uttar Pradesh, India
M9GF+752, Rajinder Nagar Industrial Area, Rajendra Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201007, India
Lat 28.67565°
Long 77.373072°
11/09/24 10:36 AM GMT +05:30
Google

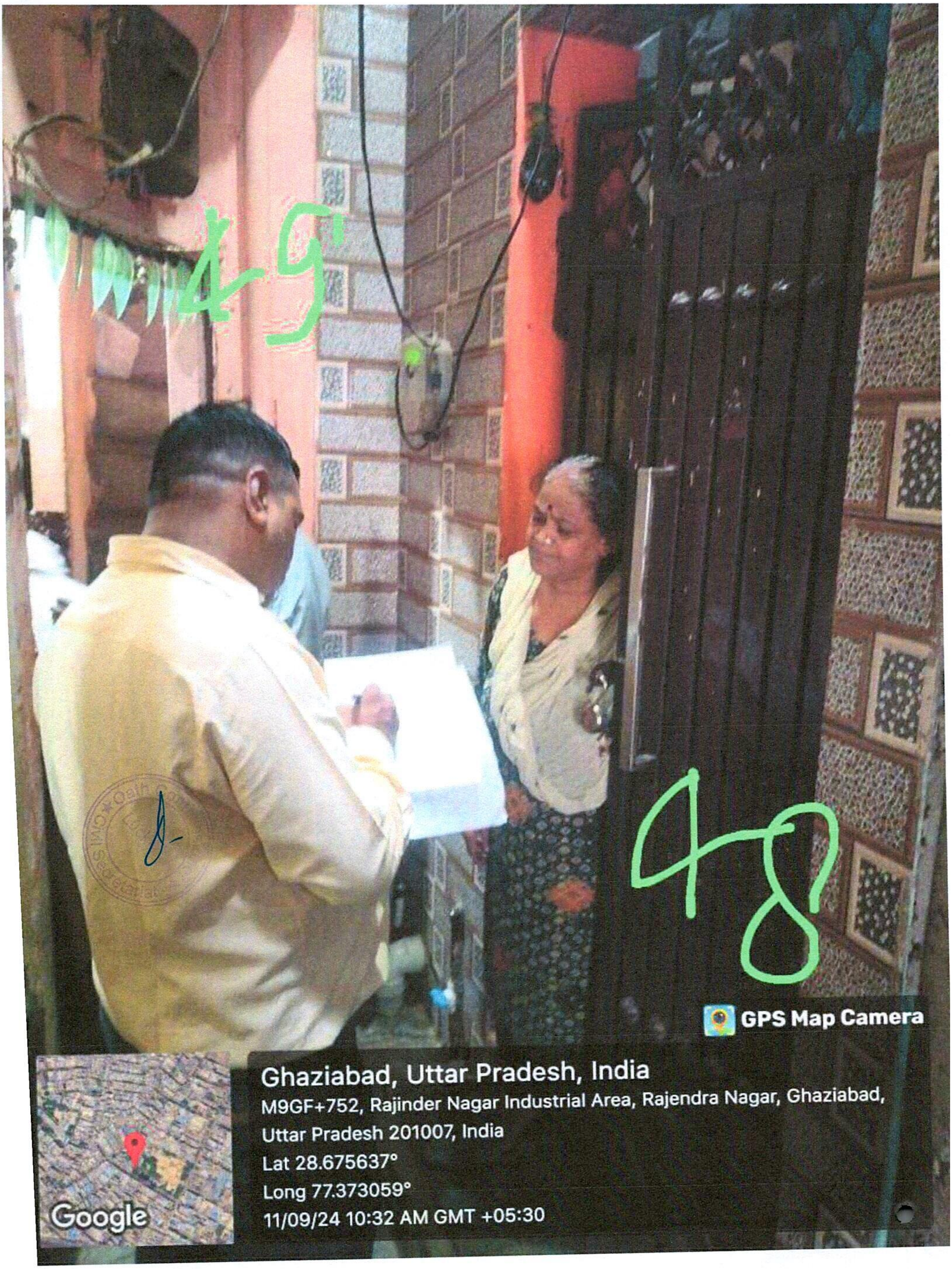
49
48
GPS Map Camera
Ghaziabad, Uttar Pradesh, India
M9GF+752, Rajinder Nagar Industrial Area, Rajendra Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201007, India
Lat 28.675637°
Long 77.373059°
11/09/24 10:32 AM GMT +05:30
Google

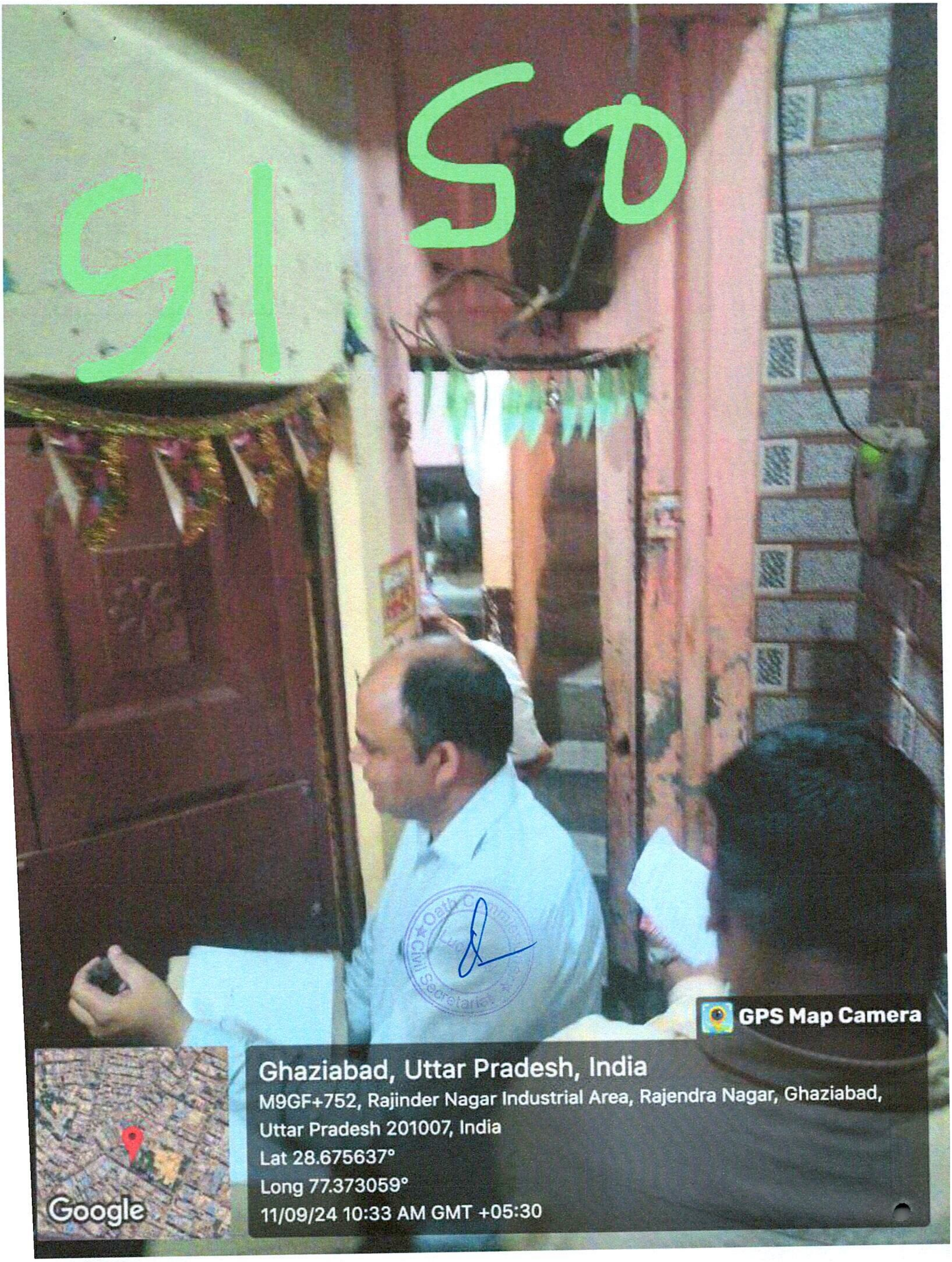
SI SD
GPS Map Camera
Ghaziabad, Uttar Pradesh, India
M9GF+752, Rajinder Nagar Industrial Area, Rajendra Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201007, India
Lat 28.675637°
Long 77.373059°
11/09/24 10:33 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Ghaziabad, Uttar Pradesh, India
M9GF+752, Rajinder Nagar Industrial Area, Rajendra Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201007, India
Lat 28.675638°
Long 77.37306°
11/09/24 10:31 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
New Delhi, Uttar Pradesh, India
6/241, Shyam Park Main, Mohan Nagar, New Delhi, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201007, India
Lat 28.675476°
Long 77.372924°
11/09/24 10:26 AM GMT +05:30
Google

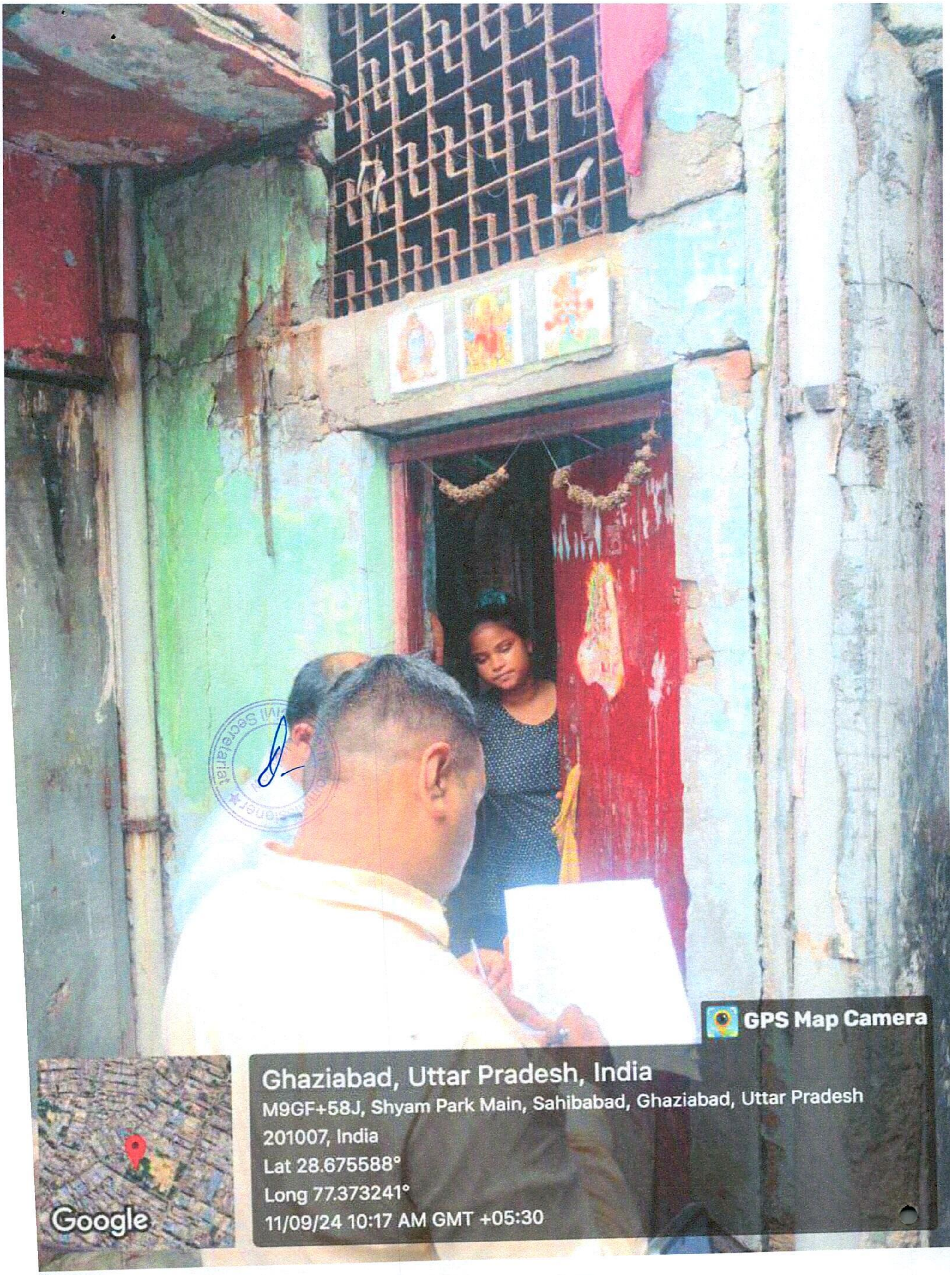
GPS Map Camera
Ghaziabad, Uttar Pradesh, India
M9GF+58J, Shyam Park Main, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201007, India
Lat 28.675588°
Long 77.373241°
11/09/24 10:17 AM GMT +05:30
Google

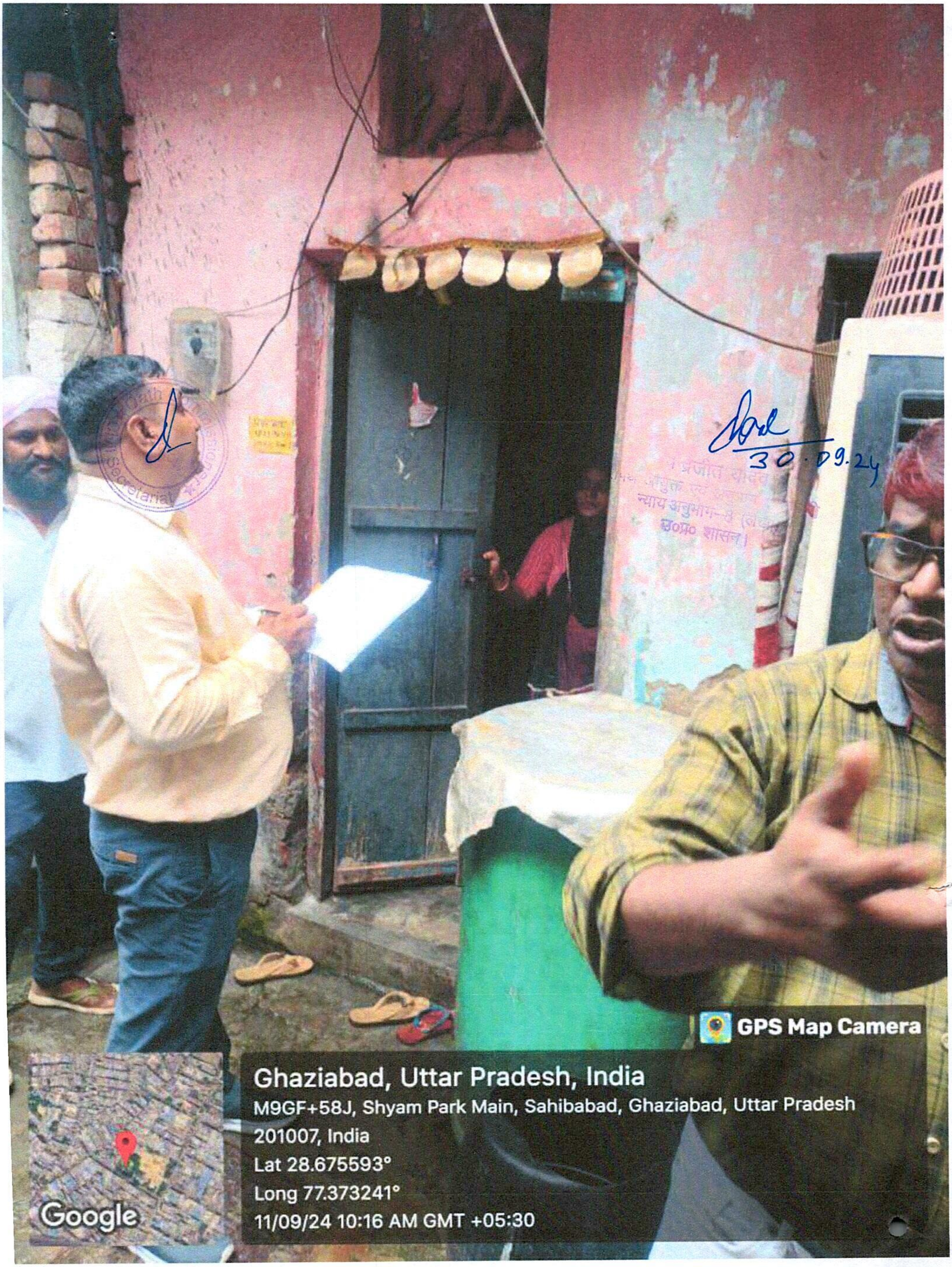
GPS Map Camera
Ghaziabad, Uttar Pradesh, India
M9GF+58J, Shyam Park Main, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh
201007, India
Lat 28.675593°
Long 77.373241°
11/09/24 10:16 AM GMT +05:30
Google
30.09.24